

STATEMENT BY MINISTER

Reservation in promotions to scheduled castes/scheduled Tribes in the wake of Supreme Court Judgement

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): Madam, A 9-Judge Bench was constituted by the Supreme Court on 31-10-1991, to hear the writ petitions challenging the office memoranda dated 13-8-90 and 25-9-91 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Deptt, of Personnel & Training), providing for reservation in civil posts and services under the Government of India in favour of Socially & Educationally Backward Classes and Other Economically Backward Sections of the people who are not covered by any of the existing schemes of reservations.

The Bench delivered 6 separate judgements (with 4 judges subscribing to the same judgement) on 16-11-1992. The judgement of Justice Jeevan Reddy delivered on his own behalf, Chief Justice, Venkatchelliah and Ahmadi JJ, together with the support that it enjoyed from other judges, became the majority judgement.

Apprehensions have been expressed by the hon. Members in this House that the observation in the majority judgement that reservation of appointments or posts under Article 16 (4) cannot extend to providing reservation in the matter of promotion would adversely affect the interests of scheduled castes/scheduled tribes. It has been suggested that government should take measures for over-coming the legal hurdles, if any in protecting the continuance of reservation in promotions for scheduled castes/scheduled tribes.

The Supreme Court has, in its majority judgement, directed that its decision in regard to non-applicability of reservations in the matter of

promotions, shall apply only prospectively and that it shall not affect promotions already made,) whether on temporary on officiating or regulars permanent basis. It has been further directed that wherever reservations are already provided in the matter of promotions—be it Central services or State services or for that matter services under any corporation, authority or body falling under the definition of State in Article 12 — such reservations may continue in operation for a period of 5 years from the date of judgement. Within this period, it has been clarified, it would be open to the appropriate authorities to revise, modify or reissue the relevant rules to ensure the achievement of the objectives of Article 16(4) . It has also been observed that if any authority thinks that for ensuring adequate representation of backward class of citizens' in any service class or category, it is necessary to provide for direct recruitment therein, it shall be open to it to do so.

Government have taken due note of the feelings expressed by the hon. Members in this regard and would like to assure the hon. Members that Government would take a view on the issues arising out of the judgement having regard to its constitutional obligations towards the advancement of backward class of citizens. The arguments with regard to the Mandal Commission before the Supreme Court were in the context of and with reference to socially and educationally backward classes. The implications of the judgement of the Supreme Court if any, in so far as the SC/STs are concerned need to be examined, after wider consultation including with all political parties, before a final view is taken. There cannot be any doubt on the commitment of the Government with regard to the protection of the interests of SC/STs.

There will be no immediate disturbance of the present dispensation regarding promotions.

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी के वक्तव्य की कापी हमें हिन्दी में ही मिली है। यह बहुत गलत प्रथा है।

उपसभापति : हिन्दी में मिली है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सीताराम केसरी जी को तो हिन्दी में वक्तव्य पढ़ना चाहिये था।

श्री एस. एस. आलुवालिया (बिहार) : हिन्दी में मिली है। यह मेरे पास हिन्दी की कापी है।

उपसभापति : है हिन्दी में।

SHRI V. GOPAYSAMY (Tamil (Nadu): Why this Hindi *jhagadal* Hindu Rashtra and Hindi. You want to destroy India.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH (Bihar): We are supporters of Tamil. (Interruptions)

SHRI V. GOPALSAMY: You think Hindi part alone is India You treat Hindi part alone as India... (Interruptions) . There are so many languages and different people.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: You people are biased. We are supporters of Tamil. (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज : कांग्रेस वालों को हिन्दी में दी है लेकिन विपक्षी दलों को हिन्दी में नहीं दी।

उपसभापति : हिन्दी की कापी मिली उर्दू में दें या अंग्रेजी में दें, वह दे रहे हैं। उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिये।

SHRI V. GOPALSAMY: It should be given in all national languages.

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Madam, may I seek my clarifications?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to go by the names written down here. The first name is that of Shri J. P. Mathur I have got your name, Mr. Jaipal Reddy I will call you.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : सब को समय दोगे न ?

श्री शंकर दयाल सिंह : जिनको पूछना है, पूछ लें, बाकी चले जाएं (अवधान)

उपसभापति : आखिरी दिन भी आप हम लोगों के साथ नहीं बैठना चाहते तो हम क्या करें। इतना महत्वपूर्ण विषय मंडल कमीशन का है, इसमें एस०सी० एस०टी० के लोगों को कुछ मिल रहा है, इसमें आपका सहयोग तो जरूरी है।

श्री शंकर दयाल सिंह : जनता दल का राष्ट्रीय मोर्चे का सहयोग है।

उपसभापति : श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपसभापति महोदया, जजमेंट में यह भी कहा गया है कि विशेष ट्रिब्यूनल बना कर के हर प्रदेश में एक रिव्यू करेंगे। मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस संबंध में क्या कदम उठा रही है, वह ट्रिब्यूनल कब बनाए जाएंगे ? यही जानकारी मैं चाहता हूँ।

उपसभापति : वस, श्री पी० शिव शंकर

SHRI P. SHIV SHANKAR (Gujarat): Madam Deputy Chairman, I must admit that the hon. judges of the Supreme Court have delivered a very elaborate and a very learned judgement.

So far as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned they are likely to be affected in four aspects.

One is, the promotional aspect. The other is, the judgement in *Deva-dasan's* case has been overruled. The resultant effect is that the carry-forward formula has been totally nullified. The third aspect, is, in all the technical and scientific posts reser-

tions have been nullified. It is true that in their majority judgement, while making an observation on the aspect of the creamy layer being siphoned off, they have said that this does not apply to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes but the fact remains that this is with reference to the interpretation of article 16(4). Therefore, they have left a way out whereby somebody could question it at a later date and this could equally apply to the SCs and STs because the entire concept is on the basis of interpretation of the expression "backward class of citizens" under article 16 itself. These are the four aspects. What I am trying to say is; has the Government raised the issue before the Supreme Court with reference to the promotions, with reference to Devdasan's case and also in respect of the reservations for the SCs and STs in the scientific and technical posts? Did they say that since this will affect a section which is not before the Supreme Court the Supreme Court should not make any observations on these points? As I understand, they have not raised it. Therefore, is the Government prepared to say that so far as SCs and STs are concerned, these issues must be totally excluded and they should not apply to the SCs and STs? Are they prepared to go in a review petition before the Supreme Court? That is one aspect of the matter.

The second aspect of the matter is, the Supreme Court has used very careful language on the question of the 'creamy layer'. The hon. Minister has been pleased to observe that he "would like to assure the hon. Members that Government would take a view on the issues arising out of the judgement having regard to its constitutional obligations towards the advancement of backward class of citizens." This shows that the Government is likely to take a view. Therefore I would like to make one submission, which is very complex, and the hon. Minister may be pleased to take a view in the light of what I am going to submit on the aspect of 'creamy layer'. Madam, so

far as the SCs/STs are concerned, to day 22.5 per cent reservations are provided for them in the Central services. It has been reported to the Parliament in the year 1990 by Mr. Paswan that totally it is 10.2 per cent posts that have been filled by SCs and STs. It means that 12.3 per cent posts revert back to the general pool. The quota of 22.5 per cent itself is not complete. This was said in 1990. I do not think the situation is better today. Maybe, today there might be one per cent more or less but not beyond that. You may kindly go into it. The point is

SHRI SITARAM KESRI; My request is that some clarifications or questions may be asked.

SHRI P. SHIV SHANKER: I am going to put a question.

SHRI SITARAM KESRI; There are other persons also to ask questions.

SHRI V. GOPALSAMY; No, no, it is a very important issue. We have also to raise points. (Interruptions).

SHRI P. SHIV SHANKER; Mr. Minister, if you do not like to hear me, I will sit down. I am raising a very complex issue. (Interruptions). What I am trying to submit is that the Supreme Court has justified the reservations in favour of the backward classes to the tune of 27 per cent and they have also observed that the creamy layer amongst these classes must be siphoned off. They have not said that the creamy layer must be removed. They have said that the creamy layer must be siphoned off. That means, the creamy layer has to be very thin. It is only then that the creamy layer can be siphoned off. If they wanted that a large number of people must be removed, they would have said that the creamy layer must be removed. What I am trying to say in the context is, that when you lay down the criteria, I mean, when you are going to take decision on the issues and the criteria for the Commission for the removal of the creamy layer, please lay down broad guidelines so that after the 27 per cent quota is filled up, the creamy layer be out. Before the 27 per cent

[Shri S. Jaipal Reddy] quota is filled up if you remove the creamy layer, then the intentions of the Government become motivated and doubtful so that you want that the rest of the quota must again revert back to the general pool without the some being completely filled up. This could equally apply to the SCs and STs tomorrow, and if the quota is not filled up and if you lay down the guidelines so that the creamy layer is removed, that means the intentions of the Government would be contrary to the judgment of the Supreme Court. This is what I should bring to your kind notice.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, I entirely endorse the erudite observations made by the hon. Member, Mr. Shiv Shanker. I am disappointed to note that in a statement made in the context of the Supreme Court judgement, the Minister has carefully and deliberately refrained from making any commitment in regard to the follow-up action. The Supreme Court wanted the Government of India and other State Governments to appoint Special Commissions to proceed with the matter, and this statement scrupulously omits any reference to that aspect. I am rather puzzled by this deliberate omission on the part of our Social Welfare Minister, whose personal commitment was never doubted by me though I had always questioned the commitment of the Congress Party to this proposition.

Secondly, Madam—Mr. Shiv Shanker, as a legal luminary would know it better—I have my own doubts about the applicability of the observations made in the Supreme Court judgment to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They were never made privy to the whole case and, as has been mentioned, the Government of India also did not make any such representation. I don't think anybody has ever raised the question in regard to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, all the observations made by the Supreme Court in regard to the Scheduled Castes and Scheduled

Tribes should be considered as no more than *obiter dicta*. Therefore, the Government of India should have no hesitation in stating that the promotion policy in respect of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall remain undisturbed. There is no need at all for review; there is no need for them to consult us. All sides of the House are agreed that the promotion policy pursued in respect of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should remain undisturbed.

You are very careful stating that there will be no immediate disturbance of the present dispensation regarding promotions. Why this kind of a caution even in regard to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I am not able to say. It is a legalistic issue, no doubt, but even in regard to a legalistic issue the Government could take a view. After all, the question of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes was never discussed in extenso before the Supreme Court. In the notification issued on 13 August 1990, there was no reference at all to reservations in promotions for the socially and economically backward classes. That notification related only to backward classes. It did not in any way concern itself with the scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

SHRI P. SHIV SHANKER: Not even the Central Government notification.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Rightly it has been mentioned by Mr. Shiv Shanker that even your notification also which we were sure would be struck down, which was predictably struck down, did not refer to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Therefore, why are you being so apologetic in your statement on this question relating to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes? Why you want to open a new front, I am just not able to follow, Mr. Kesri. Secondly, in regard to backward classes, there is a time-frame. You have got to do it within four months. You have already allowed a few weeks to be lost. Yet, you do not ap-

pear to apply your mind. You are not able to study anything at all. You have diverted the entire issue to the question of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and you have not made any commitment in regard to backward classes at all. Are we at this stage, after all the controversy, yet to confine ourselves to generalities?

So, grave doubts are arising from your statement. We asked for a statement from you so that our apprehensions could be allayed. I must say that our apprehensions after the statement, have been compounded.

SHBT V. GOPALSAMY: Madam. ...

THE DEPUTY CHAIKMAN: No. it is not you. It is Mr. Hanumanthappa Your name is there. I will call you. You know, we have to go according to the time I received the names

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, I am one who has been very much disappointed by the statement of the Government. As Mr. Jaipal Reddy said actually the issue of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes was not at all an issue before the Supreme Court. Any judgement, any court cannot passment order behind the back of a person. This is the basic law. With out even hearing them it was given. I am not a party before the Supreme Court. The issue has not been referred to the Supreme Court The notification -under question has not referred to it at all.

I am sorry to say that in the statement today before the House. ever though Kesriji has said emphatically that the Government would be committed, the Government is not categorical in saying that the judgement shall not apply to the SCs and the STs and that, even if the observation of the Supreme Court has come. it will not bind the Government not to fulfil the constitutional obligations

But what surprises me is that the Government says that there wilt be

no immediate disturbance of the present dispensation regarding promotions. That means that the Government itself is in doubt. You are not definite about the benefits that you yourselves have given under the Presidential directions. If something went wrong in implementing the Presidential directions which have been given in respect of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes all these years, it is the duty of the Government to protect and continue to follow those directions at atleast till the minimum 22.5 per cent is reached. Even after 50 years we have not come even half way. But already the sympathy is being converted into apathy. Eyebrows are raise.: against reservations even though not even 50 per cent of it has been achieved.

I have no grudge against my friends from backward classes. But the day the Mandal problem arose— you can go back and verify the figures from various Departments of the Government—the very recruitment has been reduced. The reservation has not been followed implicitly. The sondes have not been filled up. W are the sufferers? They are the weakest among the weaker sections of the society, whose position we have pledged to improve. The implications of the Judgment of to Supreme Court, if any, in so far as the SC/ST are concerned, need to be examined. I do not know why the Government is in dilemma? Why does the Government not say these observations of the Supreme Court do not apply? SC/STs are not a party and even the Notification doe not mention about it. Why has Government got this doubt? Whoever reads it he may read it for his interpretation He may interpret it for himself. What is the interpretation of the Government on the judgment? Why does Government want further consultations, including the political parties? You are age complicating the issue. Why were the Presidential directions issued? Why was the reservation given to the

[Shri H. Hanumanthappa]

Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Political parties were not consulted. Why are you bringing in political parties for these consultations? We know what is going to happen to all these consultations. Whatever we are getting also will stop and there would not be any further improvement at all. Even the Officers are interpreting the 'creamy layer' for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That is being done in offices at various levels.

SHRI V. GOPALSAMY: That is the bureaucratic mischief.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: That is what I am saying. - It is a bureaucratic mischief. According to that I am considered a part of the creamy layer. I put a question to the society. Am I allowed to draw water from a common well even today in spite of the fact that I am a Member of Parliament? Am I allowed to take coffee in a village restaurant even today? Am I allowed to go into the temple? I am Hanuman. I am supposed to be his *Bhakta*. I am not allowed to go to the temple which Rama represents. If the bureaucracy applies that 'creamy layer' to an I.A.S. Officer or to a Member of Parliament or to a Member of the Legislative Assembly, what will happen to others? The children of those people will not come up. Maybe, those of rich classes may get the education. What is their percentage? All right. All those who have taken the credit, let them stand up and say that there is no untouchability practised in the country today in spite of its abolition by the Constitution. Recognising this deficiency these rights were given by the Constitution. When the Constitution has given certain rights, how can a Supreme Court judgement take it away? How can a Government be a prey to this? The Government has to stand up and say this is a commitment, this is a Constitutional guarantee. Under the Presidential directives his has been followed if there is any lacuna in implementing

it, if there is any lacuna in following it, if there is any misunderstanding or misinterpretation, the Government should come to remove this and come out clearly. So, I request Kesri Ji to stand up and Say all these commitments so far given to the Scheduled Castes and Tribes will be honoured. We have to honest about it. These Constitutional benefits have been given not for vote-sake. We have to tell the people that we were honest in bringing amelioration to these classes. If we are honest, we will have to legalise all these benefits that have been given by way of reservation in recruitment and promotion. Whatever facilities you have given under the Constitution should be legalised and put under the Ninth Schedule. *Let not any party tomorrow* meddle with that. That is the honesty that we require from the Government. So, I request the Government to legalise this so as not to leave an iota of doubt for misrepresentation any level at the hands of the bureaucracy. These are the Constitutional directives and the "Constitutional guarantees given to these classes. So, nobody should be touched. So, I appeal to the Government to legalise the whole thing and put it under the Ninth Schedule.

Sir, what will be the effect?

SHRI V. GOPALSAMY: Madam.

श्री हेच० हनुमन्तप्पा : कभी सर मैडम हो जाते हैं, कभी मैडम सर हो जाते हैं। वेयर पर, इसलिए गलती हो जाती है।

उपसभापति : नहीं, नहीं अभी तो बड़ी देर से मैडम ही हैं। पर, मैं कह रही थी आपसे हनुमन्तप्पा जी कि स्टेटमेंट तो बहुत छोटा सा है, मसला बड़ा है। ... (व्यवधान) ...

I mean the subject is long, but the statement is small. I would like you to make your submission also small. Whoever wants to speak, they can

speak. But the thing is that it is already 7.30 P.M. and there are eleven names in the list who want to speak. So, I would only request you to make your speech as small as the Minister's statement.

श्री पी० शिव शंकर : केसरी जी ने दरिया को गागर में बंद किया है ।
... (व्यवधान) ...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, I am sorry for interrupting you. If on the Ayodhya issue we could close the Parliament for seven or eight days, if on the Ayodhya issue, the House could be held to ransom for a number of hours and for a number of days, when we are discussing the fate of about 25 per cent of the population of this country, I must be heard. If I am not heard, it pinches me.

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं बिलकुल हनुमन्तप्पा जी के साथ हूँ । गंभीरता से इस पर बहस होनी चाहिए ।

उपसभापति : जरूर बहस करिए ।
... (व्यवधान) ...

I have no objection. I am sitting here. But some Members wanted to speak and go home. That is why I am telling you to be brief. I can sit here the whole night. We can discuss this matter. No problem.

बोलिए, मना नहीं कर रही हैं ।

I am inspiring you to speak.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, I want other Members also to speak. Let there be a fruitful discussion. Madam, this is a question before every citizen of this country, whether we are honest in our approach, in our programmes. That is why I am putting this question. Every party should have an introspection whether we are doing it for getting votes or for our commitment to the backward classes or the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. If

somebody has taken it for votes, then, we will be disappointed. Baba Saheb Ambedkar has said: "It may be your wish to rule us- But it is not binding on us to obey." If that takes place, then, nobody can get the votes.

तो वोट का मामला चलेगा पचास साल के बाद भी । यह गरीब ही जानता है कि वोट के मामले में क्या-क्या लाए, राम को लाया, मंडल को लाया, दूसरे को लाते हैं, तीसरे को लाते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ और आता है । वह तो टेम्परेरी चीज है । मैं चाहता हूँ कि यह सारे सवाल, हमारे हाऊस के बीच हैं, कष्टी के सामने हैं, तो जो प्रेक्टिस आज तक हम चलाते आए हैं, समझ लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वह हो । जो यह सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया है, ... (व्यवधान) ...

Madam, already this morning one of my friends from that side mentioned that the State Governments have already become active in this matter.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I have mentioned it.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Whoever it is, I am thanking him. Even Mr. Jaipal also. State Governments have already stopped giving promotions. They are misinterpreting the clause. They are misinterpreting the judgement. In the last two months the Government should have made a detailed study and should have come out with a positive statement today instead of leaving it in between. The Government says that they have to study it. What kind of message are we sending to the State Governments and to the bureaucracy today if there is any doubt in their mind? We are putting a stop—to it. You wait till we consider. You wait till the Government takes a decision. You wait until we consult all the political parties. So, whatever we have considered and the various files pertaining to that matter will go to the dust-bin, will go to the cupboard. They will say; "The Sup-

[Shri H. Hanumanthappa] *feme* Court has delivered its judgement. But the Government of India has not yet taken a decision." So, nobody will touch the file. Promotions will be stopped; recruitment to the various posts will be stopped. Everything will come to a standstill.

Madam, even a Laboratory Attender is considered as a Scientist in the scientific institution. Even a post of Class IV will not be filled in a scientific laboratory because that is a Scientist post. There are such instances in the ICAR and other technical institutions. They say that every post is a scientific post. That post is not being filled from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Even in the reservation policy there are various lacunae. Madam, you will be surprised to know how bureaucracy behaves. In 1972, a clarification regarding promotion was sought from an institution. It came to the Finance Ministry. It slept there for six and a half years. No clarification was given. For six and a half years no promotions were taken. The attitude, even in the implementation of the Presidential directives is like this. Even the brochure once issued has been changed. I do not know who has got the authority to change the brochure of Presidential directives which has got the seal of the President. That has been changed without the knowledge of Parliament, without the knowledge of the President. An ordinary superintendent in a corner has changed the brochure. Nobody has taken note of it. When this is the attitude, I think the present judgement has a horror to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people. In fact, all the employees in the country wanted to go on strike. What more can they do? They are helpless because they are still at the receiving end. Even after fifty years, or perhaps a hundred years, of Independence, as long as the caste system persists, as long as the caste system continues, I think we are supposed to be at the receiving end.

So, I request the hon. Minister to be positive on this and say that all the provisions that have been given will be made law and incorporated in the Ninth Schedule. And, I request the hon. Minister to assure this House that this will not affect the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes and that whatever Constitutional guarantees have been given so far to these classes will be continued.

श्री मोहम्मद सलीम : (पश्चिमी बंगाल)

उपसभापति महोदय, जैसे सब सदस्यों ने कहा, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैं भी बहुत ही हताश हुआ हूँ मंत्री महोदय के बयान को देखकर। जब मंडल कमीशन की राय को लागू करने के बारे में घोषणा हुई तो कुछ राजनीतिक हित, प्रचार माध्यम इन सब ने मिलकर के एक धिनोना शब्द बना दिया था मंडल कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के बारे में जब राय दी, ऐतिहासिक राय, तो मैं यह समझता था कि मंत्री महोदय उस राय के बारे में कोई बयान देकर आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने यह बयान पढ़ा तो इसमें न तो हैडिंग में स्पष्ट किया गया कि यह किस बारे में है और आखिरकार लास्ट पैरा में उसका रिफरेंस लगाया गया है, एक उस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। जहाँ तक शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में प्रमोशन की बात है, जिसके बारे में इस वक्तव्य को यहाँ रखा गया है, वह भी मंत्री महोदय ने बड़े डरेपन से कहा है कि इम्पीजिएट कोई डिस्टरवेंस नहीं होगा, मैं उसका पुनः उल्लेख नहीं करना चाहता, दूसरे सदस्य इस बात को कह

चुके हैं। हमारे सदन का यह सत्र जब शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद एक हफ्ते के अंदर इस सदन ने जब कार्रवाई शुरू की तो मंत्री महोदय को बयान लेकर आना चाहिए था। अभी हनुमनतप्पा जी बता रहे थे कि किस तरह से इन तमाम सवालनात पर सरकार डिले करती है जान-बूझकर के। आज आखिर-कार उनको याद आया कि यह बयान देना चाहिए और उस बयान में भी सुप्रीम कोर्ट की राय की बिना पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ दिशा दर्शाई है, सरकार उस बारे में क्या कर रही है, क्या करना चाहती है और क्या कर चुकी है, उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, जान-बूझकर वह जिक्र नहीं किया गया। पिछड़े वर्गों के लिए, जो सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उनको जहां तक अधिकार दिलाने का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है, उससे मुंह मोड़कर खड़े रहने से समस्या का हल होने वाला नहीं है।

दूसरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिस दिए हैं सरकार को समय के अंदर काम करने के बारे में, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने इस संबंध में क्या-क्या इकदामान उठाए हैं और कौन-कौन से कदम उठाने जा रहे हैं? खासकर जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो कोई भी आरक्षण की सुविधा

के अंतर्गत नहीं हैं, हम शुरू से इस बारे में कहते हैं। इस बारे में राजनीतिक दलों से ही मत लेने की बात थी। तो इस बारे में सरकार क्या सोच रही है, यह मंत्री महोदय, बतायें? एक नौजवान होने के नाते मैं खासकर यह कहना चाहता हूँ कि नौकरी का जो सवाल है, वह घटता जा रहा है। क्या कल्याण मंत्री जी, यह बतायेंगे कि वह कैसे देश का कल्याण करेंगे? जो नीति सरकार ले रही है और उससे जो आरक्षण के अंदर हो या बाहर हो, तो उनको जब नौकरी से बाहर रखा जा रहा है और नौकरी के अवसरों को संकुचित किया जा रहा है तो उस बारे में हमारे देश के नौजवानों को उनके कल्याण के बारे में कोई दिशा वह दिखा सकेंगे? धन्यवाद।

شری محمد سلیم ہشتنگی بنگال: بارگاہ
 جی ہودیہ۔ جیسے سب اسکولوں کے کورسز
 بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ہی ہمت
 ہوا ہوں منسٹری ہودیہ کے بیان کو دیکھ کر
 جب منڈل کمیشن کی رائے کو لاگو کرنے کے
 بارے میں گفتگو کرتا ہوں تو کچھ راجسٹریک
 پر چار ماہ میں ان سب نے مل کر ایک اٹھاروا
 شہد بنا دیا تھا منڈل کمیشن کو اس کے
 نے منڈل کمیشن کے بارے میں جب رائے
 دیا اس رائے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ منسٹری

مہودیر اس رات کے بارے میں کوئی بیان سے کہہ رہے ہیں لیکن جب میں نے یہ بیان پڑھا تو اس میں نہ تو سپیڈنگ میں سپیشل کیا گیا کہ یہ کس بارے میں ہے، اور آخر کار اس چیز میں اس کا ریفرنس لگایا گیا ہے ایک اس شد کو استعمال کیا گیا ہے۔ جہاں تک شیڈولنگ کا شیڈولنگ ٹریننگ کے بارے میں پریشانی کی بات ہے جس کے بارے میں اس وقت تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے۔ وہ بھی منٹری مہودیر نے اس سے ڈرے پن سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوگا۔ میں اس کا اپنے الیکٹرونکس کو جانچتا ہوں۔ دوسرے مہودیر اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ اس میں سڈن کا یہ سٹرٹجی شروع ہوا تو سپیڈنگ کو اس کی رات آنے کے بعد ایک ہفتہ کے اندر اس سڈن نے جب کارروائی شروع کی تو منٹری مہودیر کو بیان سے کہہ کر آنا چاہیے تھا ابھی انہوں نے کہا ہی بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان تمام سوالات پر سرکار ڈیلے کرتی ہے جان بوجھ کر آج آخر کار ان کو یاد آیا کہ یہ بیان دینا چاہیے اور اس بیان میں بھی سپیڈنگ کو اس کی رات کی بنا پر جو بہت ہی اہمیت پورن کچھ دشادہ نشانی ہے سرکار اس بارے میں کیا کر رہی ہے کیا کرنا چاہتی ہے اور کیا کر چکی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ جان بوجھ کر وہ ذکر نہیں کیا گیا۔ پچھلے دنوں کے دنوں کے

سامراج اور شکست اکثریت میں پچھلے ہوتے ہیں ان کو جہاں تک ادھی کارولانے کا سوال ہے سامراج نیلے کا سوال ہے اس سے مہودیر کو کھڑے رہنے سے تمسک کا حل ہونے والا نہیں ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ سپیڈنگ کو اس میں جو ڈسٹریکٹو دیتے ہیں سرکار کو اس کے اندر کام کرنے کے بارے میں منٹری مہودیر سے جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس سمجھ میں کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور کون کون سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ خاص کر جو کہ اس وقت دسٹی سے پچھلے ہوتے ہیں جو کوئی بھی آرگن کی سویرا کے اثر گت نہیں ہے۔ ہم شروع سے اس بارے میں کہتے ہیں اس بارے میں راج نیکسٹ دنوں سے بھی مدت لینے کی بات تھی تو اس بارے میں سرکار کیا سوچ رہی ہے وہ منٹری مہودیر سے بتائیں۔ ایک نو جوان ہونے کے ناطے میں سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوکری کا جو سوال ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے کیا کلین منٹری ہی یہ بتائیں گے کہ وہ کیسے دیش کا کلین کریں گے۔ جو نئی سرکار سے رہی ہے اور اس سے جو آرگن کے اندر ہو یا باہر ہو تو ان کو جب نوکری سے باہر رکھا جا رہا ہے اور نوکری کے افسروں کو سنبھالتا کیا جا رہا ہے تو اس بارے میں ہمارے دیش کے

نوجوانوں کو ان کے کلیان کے بارے میں
کوئی دشاوہ دکھا سکیں گے۔
دھرمیر واد

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam Deputy Chairman, I havw gonw through the statement of the hon. Minister and I am surprised to find that in the name of the notification and the Supreme Court judgment, the rights that have been given to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have been kept in cold storage. Madam, it is a known fact that a matter which was not an issue before the Supreme Court has been roped in to show that promotions for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes need not be given at this stake. (*Interruptions*)

The Vice-Chairman SHRI MD. SALIM) in the Chair.

I am not blaming the court. I am telling something about the implementation part of it. The judgment of the Supreme Court is not actually deciding the reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This discussion was not there for that purpose. The discussion was relating to 27 per cent reservation for the socially and educationally backward classes. The hon. Minister has admitted in his statement at page 3 and I quote: "The arguments with regard to the Mandal Commission before the Supreme Court were in the context of and with reference to socially and educationally backward classes." The Government is very clear on that aspect. But the hon. Minister stated one more thing and I quote that also. "The implications of the judgment of the Supreme Court, if any, in so far as the SC/STs are concerned need to be examined, after wider consultation, including with all political parties, before a final view is taken." Sir, it is a layman's know-

ledge that on a matter which is not adjudicated and which was not an issue, if there is a reference made by the Supreme Court, that will become *obiter dicta* but that will not become an operative part of it. Then why has the Government taken up the issue of the promotion of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes?

SHRI V. NARAYANASAMY: What is the state of affairs as far as the appointments and promotions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are concerned? Shri Rajiv Gandhi, when he was the Prime Minister of this country, gave an assurance in this House and outside also that all the backlog in respect of appointments and promotions of the SC/ ST will be cleared immediately. The hon. Minister also gave an assurance that backlog in respect of appointments and promotions concerning the SC/ST will be cleared. But I would like to give a small example. Whether there is a post in some Government department or in some corporation, what are these bureaucrats doing? The bureaucrats instead of confirming an officer who has been appointed from the SC/ST category, kept that officer on probation for 12 years. What is the justification for it? What are you doing? There is nobody to question that. They keep him for 12 years or 13 years continuously in the same category as a permanent officer and allow him to continue like that because there is no criterion. If the services of a particular officer or a person—who is in Government service—are confirmed, he has to get promotion, he has to bypass other persons. So, they are keeping him as a temporary nerson. Whether it is the Central Government or the State Government, bureaucrats are bureaucrats.. They

†[]Transliteration in Arable Script.

[Shri V Narayanasamy]

don't consider it as an obligation. Only some people go to court. All the people are not going to court. Even the Supreme Court can give findings relating to one or two persons who have the facility to go to court. Other people are suffering. This is the state of affairs prevailing in this country in the name of reservations to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Now the Minister's statement has given this fact. I am telling you, Sir, this will have wider ramifications in this country. I appeal to the Minister to say that the reservations will continue in promotions also. What compels the Minister today that the Supreme Court has said this, therefore, we are going to consider it? There is no basis behind it. The hon. Minister should announce this in the House today itself that the reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotions will also be continued by the Government. This is the commitment of the Congress Party. This is the commitment of the Congress Party leadership. We have given all the assurances to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Government should not be carried away by the Supreme Court judgment and they should not take refuge under it.

Sir, coming to another aspect about the judgment of the Supreme Court and its implementation, I request the hon. Minister, "Kindly don't take any politician as Chairman." Persons who have been fighting for the cause of these backward classes, you take them as Chairman so that they will have a commitment; they will be able to implement the reservation policy for the backward classes. Sir, I would like to make a submission here. V. P. Singh Government was claiming—even today Mr. V. P. Singh is claiming—that it was their policy that has been accepted by the Supreme Court. Sir I differ from them. It is not the V. P. Singh Government whose notification was fully accepted by the Supreme Court. It is only partially accepted. On the contrary, the Congress Policy,

as is given in its manifesto, has been accepted by the Supreme Court... (*Interruptions*) ... You say that when your time comes.

AN HON. MEMBER: Your notification is defective.

SHRI V. NARAYANASAMY: Our notification is not defective. V. P. Singh Government's notification was defective. This Mandal issue concerns 55 to 65 per cent of the backward classes who are living in this country. It can't be taken lightly by any Government, whether it is the Central Government or the State Government. These people have been fighting for the last 35, or 40 years. Now the stage has come when they are going to reap the harvest. The hon. Minister is fighting for the backward classes. I have full confidence in him. After seeing this statement I have the least doubt about it. He has fought for the backward classes. The Minister has also to fight for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. We are one with him. We are here to support the Minister for giving benefits to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and backward classes as per the judgment of the Supreme Court findings.

Finally, I want to mention about the implementation of the recommendations of the Mandal Commission. One can very well say that some of the States may take it lightly. But in our other States the Mandal Commission is a burning issue. Regarding the Mandal Commission recommendations, whether it is the Congress Party or any other party, we have been saying that these should be implemented. This is the right time when the hon. Minister has risen to the occasion. Not only the Government but the whole country will remember him in the years to come.

श्री अनाद प्रकाश गौतम : (उत्तर प्रदेश)
आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस
विषय पर माननीय मंत्री जी ने अपना
वक्तव्य दिया है वह मामला बहुत गंभीर
है और वक्तव्य बहुत ही चलता है ।

मैं इसलिए यह कह रहा हूँ कि आपने इसमें सरकार की नीति दोहराई है कि केंद्रीय सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी संवैधानिक उपबंधों में सुविधाएं दी गई हैं, जो आरक्षण से संबंधित हैं उससे वह अलग नहीं हटती हैं और जो संवैधानिक उपबंधों को लेकर उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की उसके तहत उन्नतियों में, सरकारी नौकरियों में जो उन्नतियाँ हैं उन पर उल्टा प्रभाव पड़ता है और प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वह समाप्त होता है ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। आपने अपने स्टेटमेंट के आखिर में आपने अखिरी वाक्य जो कहा है—

"There will be no immediate disturbance of the present dispensation regarding promotions."

एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि हम अपने कमिटमेंट के साथ स्पष्टीकरण कर रहे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसकी वजह से प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त होने जा रहा है उसके बारे में कोई जल्दी नहीं करने जा रहे हैं। आप इम्मीनान से सोचने वाले हैं तो यह बहुत बड़ा विरोधाभास है कि आप अपने कमिटमेंट के साथ रहेंगे कि नहीं। मैं बहुत सीधा सा प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ लेकिन उसके पहले एक बात और कहना चाहती हूँ। आप तो इतनी जल्दी नहीं करना चाहते हैं लेकिन जिनको प्रमोशन देना है, ऐकजीक्यूटिव आफिसर्स जो हैं डिपार्टमेंट के राज्यों में वह इतनी जल्दी किए हुए हैं कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त हो गई है। जिन विभागों में पत्रावलि या विचाराधीन थी तत्काल उनको नोट लगाकर लोटा दिया गया कि अब रिजर्वेशन समाप्त हो गई है, इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। एक पोस्ट और टेलिग्राफ डिपार्टमेंट के अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बैक लॉग को पूरा करने के लिए रिट पिटीशन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ही उसको वापस कर दिया कि अपने विभाग में अपनी

रिजर्वेशन दाकिल करे और वह डिपार्टमेंट मंडल कमीशन में जो ब्याख्या की गई है उसके अनुसार उसका फैसला करे। साथ ही उसका प्रमोशन में भी डिनाई हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या यह जो डिपार्टमेंट कर रहे हैं ... (ब्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) :
मंत्री जी का मुँह आपकी ओर नहीं है, हाँ मंत्री जी की पीठ सदन की ओर है।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : सदन को पीठ दिखाकर भागने वाले वह नहीं हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट ...

श्री सीताराम केसरी : अब इसको हम कैसे चँक करे ?

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : आप उनको डायरेक्टिव देकर रोकने जा रहे हैं कि नहीं कि तब तक आप इसका जब तक सरकार फैसला न कर ले .

दूसरा सवाल यह है कि यह जो व्यवस्था उत्पन्न हो गई है अनुसूचित जातियों को सरकारी नौकरियों में उन्नति में रिजर्वेशन देने की उस संबंध में संवैधानिक उपबंधों में उनको जो आरक्षण की गारंटी है उसको जारी रखने के लिए क्या उन उपबंधों में सरकार कोई संशोधन लाकर उसको जारी रखने का विचार रखती है और अगर रखती है तो उसको कब तक कार्यान्वित करेगी ?

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य में कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे कि ऐसा लगता है कि कुछ सरकार की दृष्टि में सदेह है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मंत्री जी इस विभाग को देख रहे हैं, वह कांग्रेस की नीतियों को और जो कार्यक्रम लागू करना चाहते हैं संविधान के अंतर्गत उनसे वह प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध होने के कारण शायद वह भ्रम पैदा हो गया। भ्रम

[श्री राक नरेश यादव]

इसलिए पैदा हो गया है कि उन्होंने कहा है—

"The implications of the judgement of the Supreme Court, if any, in so far as the SCs/STs are concerned need to be examined after wider consultation, including all political parties, before a final view is taken."

8.00 P.M.

मैं कहना चाहता हूँ कि इस वाक्य ने ही यह भ्रम पैदा कर दिया। अगर यह वाक्य रहता तो सचमुच में किसी को भी कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए संदेह हो रहा है, सचमुच में लगता है अधिकारियों का मन साफ नहीं है। वह नहीं चाहते कि किसी तरह से यह आरक्षण प्रोन्नति में हो, प्रोन्नति में लागू रहे। इसलिए संदेह पैदा हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यहां आपने इस वक्तव्य में जो लिखा है वह कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। इसके बाद साथ साथ आपने एक बात और कह दी। वह शब्द और भी कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। यह संदेह पैदा कर रहा है आपकी नीति में
There will be no immediate

जो इमोडिएट शब्द है यह भ्रम पैदा कर रहा है। इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं। आप को क्लीयर शब्दों में कहना चाहिए।

There will be no disturbance of the present dispensation regarding promotions.

इसलिए आपके माध्यम से सदन जानना चाहता है कि पूरे देश के जो 22.5 फीसदी लोग हैं उनके मन में ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लोगों में चिंता व्याप्त है कि क्या उनके लिए दी गई प्रोन्नति को समाप्त करने के बारे में सोचते हैं। यह स्पष्ट करिए कि किसी भी कीमत पर जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार की

नीति रही है उसी पर चला जा रहा है। इसमें कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। बलपूर्वक लागू रहेगा। इसमें किसी तरह का परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दलों से भी पूछने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दलों से उस वक्त पूछने की जरूरत पड़ती है जब हमारा स्वयं का मन संदिग्ध अवस्था में होता, हमारा मन निश्चित नहीं होता, हम दृढ़ विचार के नहीं होते। इसलिए इस प्रश्न की बहुत साफ शब्दों में कहना चाहिए और एक ही वाक्य में कहना चाहिए कि किसी भी तरह से हा प्रोन्नति के संबंध में कोई हस्ताक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंडल कमीशन का जो सवाल है 27 फीसदी के आरक्षण का, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आब्जरवेशन किए हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन 13 अगस्त को जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें कहा गया था कि लिस्ट जारी की जाए। लेकिन वह लिस्ट जारी नहीं की गई। नहीं जारी की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप किस पर लागू करेंगे? अभी तक कोई लिस्ट तैयार नहीं हुई। इसलिए इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का यह आब्जरवेशन है कि आप कमीशन बैठकर आइडेंटिफाई करें कि कौन-कौन से लोग हैं, कौन-कौन से वर्ग हैं, कौन-कौन सी जातियां हैं उसकी सूची तैयार करें। इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कब तक इस कमीशन को बैठ कर इस सूची को फाइनल करने का काम करेंगे? जितना विलम्ब होगा उतना ही लागू करने में विलम्ब होगा। तीसरी बात इस सिलसिले में मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो 27 फीसदी आरक्षण की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वह उन्हीं लोगों के बीच में रहेगी उसके बाहर तो जाने वाली नहीं है? इसका मैं मंत्री जी से उत्तर चाहूंगा। मुझे विश्वास है मंत्री महोदय प्रतिबद्ध हैं और जो हमारे संविधान में जस्टिस सोशल और इकोनोमी की बात है उसमें रह कर इन्हीं बातों के आधार पर उत्तर भी देंगे और सदन को आश्वासित करेंगे कि किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

श्री सच प्रिय गौतम : माननीय उपसभा-ध्यक्ष जी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है माननीय मंत्री जी का यह वक्तव्य पढ़ कर। इसमें केवल शब्दों की जादूगरी है। दोनों सदनों के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अनुसूचित जाति, जनजाति के हितों को कुप्रभावित होते देखकर अपनी मानसिक वेदना व्यक्त की थी और सरकार से कहा था कि इन वर्गों के बारे में अपनी स्थिति आरक्षण से संबंधित स्पष्ट करे। आपने न तो अपनी प्रतिबद्धता इसमें दिखाई और न अपनी बचनबद्धता दिखाई जो आप कहते रहते हैं।

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये चार तथ्य आपको मालूम थे; नम्बर एक यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल पिछड़ी जातियों के आरक्षण से संबंधित था? दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण का मुद्दा उठाया तो क्या सुप्रीम कोर्ट को यह बाजब नहीं था कि इन वर्गों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका देती? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन वर्गों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया और न ही सरकार ने ऐसा कोई मौका दिया। नं० 3, क्या आपको यह भी मालूम है कि इन नौ न्यायाधीशों की खंड पीठ में एक भी अनुसूचित जाति और जनजाति का न्यायाधीश नहीं था जब कि सर्वोच्च न्यायालय में एक अनुसूचित जाति का न्यायाधीश मौजूद है और नं० 4, यह कोई सर्वसम्मत निर्णय नहीं है, केवल बहुमत का निर्णय है, इसलिए यह पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। मंत्री जी, पहले आप मेरे इन शब्दों का उत्तर दें।

मान्यवर, उपसभाध्यक्ष जी, 25 नवम्बर को एक विशेष उल्लेख के माध्यम से और 3 दिसम्बर को एक विशेष उल्लेख के माध्यम से मैंने इसी सदन में इस मुद्दे को उठाया था और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकषित किया था। आपने अब तक

इस अन्तराल में राजनीतिक दलों से कोई मंत्रणा करनी थी तो क्यों नहीं की और विशेषज्ञों को अगर कोई राय लेनी थी तो क्यों नहीं ली? अगर आपने अपनी कोई नीति निर्धारित करनी थी तो क्यों नहीं की? मैं आपको सुझाव भी दूंगा मैं उन लोगों में से हूँ जो केवल आलोचना ही नहीं करते हैं, सुझाव भी देते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि मैं आल्टरनेटिव भी देता हूँ। नं० 1, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अनुसूचित जातियों और जन जातियों का आरक्षण कुछ स्थानों पर प्रवेश में भी समाप्त कर दिया; जैसे तकनीकी में, मडिकल में मैथेमैटिक्स में, प्रोफेसी में, वगैरहा वगैरहा में आरक्षण नहीं होगा। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि धारा 335 सविधान की यह कहती है कि—

The claims of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration.

यह एफिसियन्सी, दक्षता, जब आप लोगों को दक्ष बनने का अवसर ही नहीं देंगे तो दक्षता कहां से आएगी? जब ये लोग बड़ने ही नहीं जा सकेंगे, उनको प्रवेश ही नहीं मिलेगा तो ये इंजीनियरी, डाक्टरी आदि में दक्ष कैसे बन पायेंगे? दूसरी बात यह है कि प्रोन्नति में आरक्षण क्यों करना पड़ा। आज तक उच्चतम पदों तक और शीर्षस्थ पदों पर इन वर्गों के लोग नहीं पहुँच पाये हैं इसलिए प्रोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगर प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई आल्टरनेटिव क्यों नहीं दिया। आप जानते हैं कि प्रोमोशन दो तरीकों से होती है। एक सीनियरटी के आधार पर और दूसरे मेरिट के आधार पर। दोनों साथ साथ चलते हैं। बहुत से ग्रेड्युएट कास्ट और ग्रेड्युएट ट्राइब्स के लोग बड़े सीनियर हैं लेकिन ऊपर

[श्री संघप्रिय गौतम]

की जातियों के लोग जो अपने आप को मेरिट का हकदार मानते हैं इन लोगों को एडवर्स एन्टी दे देते हैं। एक्सिलेन्ट नहीं देते हैं, बेरी गुड नहीं देते हैं, गुड देते हैं और उनको जानबूझकर मेरिट में नहीं आने देते हैं। इसलिए ये लोग सर्वोच्च पदों तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर प्रोमोशन में रिजर्वेशन खत्म करना था तो ऐसा कोई डाइरेक्शन होता। जिससे ये लोग उच्च पदों पर पहुंच सकें। जिस पर एडवर्स एन्टी होती है उस पर डिस्सिलेनरी एक्शन होता है, डिपार्टमेंटल एक्शन होता है। क्रिमिनल केस हो तो क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन होता है। उसके लिए सजा अलग है। तीसरी चीज यह है कि श्रीमी लेयर की बात कही गई है कि जो श्रीमी लेयर में आएंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन शूडयूल्ड कास्ट और श्रेडयूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज की जाति तो नहीं बदलेगी। अगर उनके लड़के मेरिट में आते हैं, कम्पिटिशन में फस्ट आते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? लेकिन आई. ए. एस. आदि में श्रेडयूल्ड कास्ट की क्या स्थिति है, आप जानते हैं उनको मेरिट के बावजूद अपनी स्टेट नहीं मिलती तो क्या उसे अपनी स्टेट, मिलेगी, उसको अपनी स्टेट अलॉट होगी इस तरह का कोई डाइरेक्शन इसमें नहीं है। तो मान्यवर, सीधे यह निर्णय संविधान को प्रभावित करता है। आपकी अगर नीयत साफ है तो आप को सीधे कहना चाहिये या कि हमें संविधान में अगर संशोधन करना पड़े तो करेंगे। आप यह कहते कि इस जजमेंट का कोई भी प्रभाव अनुसूचित-जाति, जन-जातियों के आरक्षण पर नहीं होगा और उस समय तक नहीं होगा जब तक भारत सरकार इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेती। चाहे वह रिज्यू पेटिशन को दाखर करके हो चाहे संविधान में संशोधन करके हो और चाहे राजनैतिक दलों से पूछकर एन्जीक्यूटिव आर्डर से हो। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अब एकमात्र हलव सिवाय संशोधन के कोई दूसरा नहीं है।

तीसरी बात, जज मेरिट की बात आधी, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि इससे मेरिट प्रभावित होगी। यह संशोधन विरादरी के लोग अकमर मेरिट की बात कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप अगर बहुत बुद्धिमान हैं तो इंजीनियर आओ बन जाओ, डाक्टर आप बन जाओ, आई. ए. एस. आप बन जाओ मगर खेती कमाने का मेरिट अनुसूचित जाति जनजातियों का है, हल बनाने का मेरिट, मकान बनाने का मेरिट फैक्टरियां बनाने का मेरिट, सड़क बनाने का मेरिट और मशीनरी बनाने का मेरिट यह इन अनुसूचित जाति-जनजातियों का है। चलिए नौकरियां सारी आप ले लें और जमीन, जायदाद, खेती, मकान, फैक्टरी सारा श्रेडयूल्ड कास्ट और श्रेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दे दिया जाये, क्या ऐसा है, इस बारे में कोई डाइरेक्शन है। अगर मेरिट माना गया है और जो व्यूरोक्रेटस हैं जिन्होंने आपको यह लिखकर दिया है क्या ये चिन्ताई कर सकते हैं, क्या ये दीवार बना सकते हैं—टेडी ईट रख देंगे, मेरिट अगर काउंट करना है तो वह हर जगह काउंट होनी चाहिये। अम में भी काउंट होनी चाहिए... (व्यसधान)... मस्जिद भी यही बनाते थे, गुरुद्वारे भी यही बनाते हैं, मंदिर भी यही बनाते हैं और गिरिजावर भी यही बनाते हैं इसलिए इन सबका चढ़ावा इन्हीं को मिलना चाहिए। अकबर इलाबादी ने एक शेर लिखा है कि:

“आओ तुम्हें दिखायें इस लाभ की रीनक का हाल,
कौंसिल में बहुत समयद मस्जिद में फकत जुम्मान”।

पुजारी वहां इसलिये होता है कि वहां चढ़ावा आता है, पुजारी के गाल लाल होते हैं, पेट मोटे होते हैं। पैसा आता है। तो फिर मेरिट तो अनुसूचित जाति की है वे पुजारी क्यों नहीं होते? क्यों बनाते हैं वे लेकिन वे पानी नहीं पीते। कुएं बनाने की तो मेरिट उनकी है। तो अगर मेरिट ही काउंट करनी है तो मेरिट हर जगह काउंट होनी चाहिये।

केसरी जी, मंत्री जी, मैं बड़े दुखी दिल में बात कह रहा हूँ। भारत का नागरिक होने के नाते संविधान के निर्माताओं को जिरह को मैंने पढ़ा है, कॉस्टिट्यूट असमेंबली की बहस को भी पढ़ा है और मेरी पार्टी का मत है कि मण्डल कमिशन के आधार पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण 27 प्रतिशत मिलना चाहिये, अनुसूचित-जाति-जनजातियों का आरक्षण यथावत जारी रहना चाहिये और प्रोन्नति में आरक्षण उस वक्त तक जारी रहे जब तक राष्ट्रीय सहमति इस पर कोई नहीं होती और अन्य लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिये। तो क्या राष्ट्रीय सहमति इसमें हो गयी? यह सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, जो अज है वे कौन सी बिरादरी के हैं? क्षमा करना यह मानसिकता कहाँ से आती है? यह मानसिकता आती कहाँ से है? कल एक प्रश्न आया मैं बाल साहब से पूछ रहा हूँ...

SHRI. V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, I am on a point of order. He cannot say anything on the conduct of the hon. Judges.

श्री संघ प्रिय गौतम: आप बैठिये गोपालसामी जी। आपके यहां पेरियार रामासायी नायकर के अनुयाइयों ने ब्राह्मणों की चोटियाँ काटी है, जनेऊ काटे हैं। आप उन लोगों में से हैं। आप क्षमा कीजिए।

I had listened to Periyar. I have kiterpieted his speech.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) गौतम जी, आप जजबात में बोल रहे हैं लेकिन आप अपने जजबातों पर काबू रखें।

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आखिर मानसिकता इसके पीछे क्या है। जो इस देश के कठोर-कर्मी हैं, राष्ट्र भक्त हैं, देश के निर्माता हैं, समाज सेवी हैं, चरित्रवान और ईमानदार जो दलित हैं जो दलिस्तान नहीं मांगते अतिक्रवादी

नहीं हैं, उग्रवादी नहीं हैं और जो कुछ मिल गया उसी पर संतोष कर लेते हैं? वे राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग हो गये थे, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए, उन्हें सम्मान मिले यह भावना आरक्षण के पीछे थी। आज सारा देश महसूस करता है कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। मैं दो बातें कह कर एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मैं ज्युडिशियरी की बात इसलिए कहता हूँ कि हमारे दो कतमेंट हैं।

India is a developing country and ours is a Welfare State.

समाज का कल्याण हो और देश का विकास हो। तो क्या इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी नहीं है। क्या केवल राजनीतिज्ञों की भागीदारी है? एग्जीक्युटिव की भी भागीदारी है, ज्युडिशियरी की भी भागीदारी है। देश का विकास न सके, देश के कल्याण में बाधा न हो। ज्युडिशियरी की भी जिम्मेदारी है।

I can say as a lawyer, I know the law. What are the laws? Laws are the traditions usages, customs and demands of the subjects.

देश क्या चाहता है, मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो डायरेक्शन आपने सब स्टेटस को भेजे हैं, जगलरी आफ वर्डज को छोड़ कर क्या आप इस सदन को यह आश्वासन देंगे कि हम सारी स्टेटस को, डिपार्टमेंटस को यह डायरेक्शन भेज रहे हैं कि इस सुप्रीमकोर्ट के निर्णय का कोई भी प्रभाव नियुक्तियों में, प्रोन्नति में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर नहीं पड़ेगा जब तक अन्तिम निर्णय भारत सरकार चाहे राष्ट्रीय सहमति के द्वारा या संविधान संशोधन के द्वारा नहीं ले लेती है। यह स्पष्ट निर्देश हो, यह जो आपने लिखा है—

"There will be no disturbance of the present dispensation regarding promotions"

[श्री मोहम्मद सलीम]

आपने तो यह शब्द कहा यादव जी "immodiat" शब्द नहीं लेना चाहिए मैं तो जोड़ना चाहता हूँ—

"There will be no immediate disturbance of the present dispensation regarding promotions and reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes at all."

आपने यह शब्द क्यों छोड़ दिये

Let there be clarity

जी एम्बिगुटी सुप्रीमकोर्ट ने पैदा कर दी थी उसको दूर करने के लिए आपसे बयान देने के लिए हमने कहा था लेकिन आपने तो फिर एम्बिगुटी पैदा कर दी है। आपने समस्या का समाधान कहाँ किया। आप कृपया स्पष्ट कीजिये : नीति नहीं चाहिये हमें आपकी, जैसे माननीय यादव जी करते हैं हमें तो परिणाम चाहिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि आपका सरकार की क्या नीति है। आपकी नीति बहुत अच्छी है मगर कैसी अच्छी? माननीय सदस्य क्षमा करेंगे हमारे एक संसद सदस्य थे, नेता थे कांग्रेस के उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति कैसी है। आप खीर पकाइये। बहुत अच्छी खीर प्योर दूध की खीर उसमें वासमती चावल डालिये। उसमें मखाने डालिये, बादाम डालिये, काजू डालिये, पिस्ता डालिये, चिरोजी डालिये, मखाने मेव डालिये कैसी खीर? बहुत अच्छी खीर। लेकिन ऊपर से क्षमा करेंगे इस शब्द के लिए * डाल दीजिये या गोबर डाल दीजिये। कैसी खीर? ऐसी नीति है कांग्रेस वालों की। आप नीति को, अपनी नीयत को (व्यवधान) सही कीजिए।

श्री राम नरेश यादव : मेरी इस पर आपत्ति है (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : मैंने कौन सा अनपार्लियामेंटरी शब्द बोला है? (व्यवधान)

*Bxpnged as ordered by the Cnair.

†[] Transliteration in Arabic Script.

डा. फागनो राम : (बिहार) : जो चाहे कैसे बोल सकते हैं (व्यवधान) आप कंट्रोल में बोलिये (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव : इतने भावावेश में आ कर के (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे : (महाराष्ट्र) ऐसे शब्द बोलते हुए आपको शर्म आनी चाहिये (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : यह * कौन सा अनपार्लियामेंटरी शब्द है (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) गौतम जी आप अपने जज़्बात को काबू में रखिये (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव : भावावेश में आ कर के माननीय सदस्य ने फिर वही शब्द का प्रयोग किया। यह रिकार्ड पर नहीं आना चाहिये और जो भी हो (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : ठीक है निकाल देंगे : (व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : गौतम जी आप हम सब को इतना तो न गिराइये (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : वाइसचेयरमैन साहब बहुमत की राय डेमोक्रेसी में चलती है। मैं अनपार्लियामेंटरी वर्ड जानता हूँ। मैंने अनपार्लियामेंटरी शब्द पाने तीन साल में बहुत सुने हैं। अगर यह अनपार्लियामेंटरी शब्द हो तो मैं इसे वापिस लेता हूँ। (व्यवधान)

श्री पी. शिव शंकर : अनपार्लियामेंटरी की बात नहीं है। याचना कर रहे हैं कि इस तरीके से न कीजिए। (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : यह है कि कांग्रेस की नीति (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) लेकिन आप खत्म कीजिए। आप एक मिनट में खत्म कीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम : बस लास्ट। तो कल्याण मंत्री जी ... (व्यवधान)

श्री हेच. हनुमनतप्पा : गौतम जी ...

श्री संघ प्रिय गौतम : क्या आप आश्वस्त करेंगे ...

कुमारी सरोज खापडें : दूसरी को भी तो सुनो जरा।

श्री संघ प्रिय गौतम : अगर आप सुनाते तो ये आपकी पार्टी के लोग ठीक न हो जाते। शिकायत तो सारी आपसे ही है अपने नेताओं को नहीं सुनाते आप। ... (व्यवधान) जितने हैं हाथ उठाने वाले बैठे हैं क्षमा करना। यही तो शिकायत है... (व्यवधान)

प्रधान मंत्री आपके हैं। कहिए उनसे जा करके। हम आपके साथ हैं। मेरी पार्टी अगर कोई इस प्रकार की बात इन वर्गों के हित के खिलाफ करेगा तो मैं इसके की चोट पर अपनी पार्टी से लड़ंगा। आप लड़कर दिखाइये। छोड़ दीजिए पार्टी ... (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव : आप तो लड़ रहे हैं अयोध्या में मस्जिद को ले करके।

(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : ये सब बीज कांग्रेस के बोये हुए हैं (व्यवधान)

श्री हेच. हनुमनतप्पा : एक मिनट। देखिए अच्छी चीज की भी आप खराब कर रहे हैं। इधर राजनीति मत लाइये ... (व्यवधान)

बैठिए। सुनिये। एक बात सुनिये। इधर सियासत मत लाइये राजनीति मत लाइए... (व्यवधान) अगर यहाँ राजनीति लानी है ... (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : ओ. के. मान लिया। देखिए वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जोश में होश को न खोऊ लेकिन फिर भी अगर आपकी भावना को ठेस लगती है तो मैं कड़वी सच्ची बात नहीं कहूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय मंत्री जी जब तक आप अंतिम रूप से इस मामले को तय नहीं कर लेते जैसे इमीडिएट शब्द इस लास्ट पैरा में इस्तेमाल किया है इमीडियटली डाइरेक्शन इश्यू करें हर डिपार्टमेंट और राज्य व केन्द्र शासित सरकार को कि अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण प्रवेश में, नियुक्तियों में और प्रोन्नति में यथावत जारी रहेगा। धन्यवाद।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): How long are we going to sit, I would like to know.

SHRI V. GOPALSAMY: After we have expressed our views, the House will adjourn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I request Members to be brief and ask pointed questions only.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश) माननीय उपसभाध्यक्ष जी, 16 नवम्बर को जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ था तो मेरे मन से पहली प्रतिक्रिया निकली कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को सुलझाया नहीं बल्कि उलझा दिया है क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिशों के संबंध में जो विज्ञप्ति श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में जारी हुई थी, बाद में वर्तमान सरकार के संबंध में जारी हुई उसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया था। उस विज्ञप्ति को लेकर पिछड़े वर्गों के एक आदमी की आरक्षण के हिसाब से आज तक नौकरी नहीं मिली। लेकिन संविधान में पिछली जो सरकारी राजाज्ञा थी उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो प्रोन्नति में आरक्षण मिला करता था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से समाप्त

[श्री सत्य प्रकाश पालवीय]

करने का काम किया। लेकिन आज डेढ़ महीने के बाद जब वर्तमान सरकार के कल्याण मंत्री का वक्तव्य हो रहा है तो प्रोत्सर्ग में या आरक्षण के संबंध में अपना ... (व्यवधान) वह शब्द बार-बार दोहरा रहे हैं कि इस सिलसिले में मैं विचार विमर्श करूंगा। बाइंडर कंसलटेशन करूंगा। राजनीतिक दलों से भी सलाह मशिवरा करूंगा तब सरकार का निर्णय लूंगा।

श्री शिव शंकर जी: बहुत ही विद्वान वकील रहे हैं। हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रतिरोध में सरकार स्वयं ही रिब्यू पिटीशन में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जा सकती है। उसकी भी कोई टाइम लिमिट होगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा। श्री शिव शंकर जी उसकी सफाई कर देंगे। लेकिन कम से कम सरकार भी इतना तो कर सकती थी कि—

— so far as that part of the Order is concerned, that should remain stayed because the Government is preparing a Review Petition to be filed before the Supreme Court.

इसको भी आज तक नहीं किया। मुझे अच्छे तरीके से याद है, 12 जून, 1975 को उस समय मैं न्यायालय में मौजूद था। श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ जस्टिस जगमोहन लाल का फैसला हुआ था उनके वकील थे श्री सतीश चन्द्र चन्द्र झा। उन्होंने उसी समय एक दरखास्त दी जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के यहां कि वे सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे आपके आर्डर के खिलाफ इसलिए अपने आर्डर के एक्जीक्यूशन का आप स्टे कर दें। उसी समय जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने आर्डर को स्टे कर दिया। कहां कि 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट से इसका आर्डर ले आए।

तो मेरी समझ में नहीं आता कि कम से कम जिस सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला विचारधीन नहीं था, उस सिलसिले में भी जन सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला नहीं लिया

तो क्यों डेढ़ महीना होने के बाद सरकार सो रही है। कम से कम मंत्री जी जब अपना उत्तर दें, तो इस संबंध में स्पष्टीकरण करेंगे।

दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीजें सरकार के विवेक पर छोड़ दी हैं। श्रीमती लैथर के सिलसिले में उन्होंने अपने निर्णय में कुछ चीजों पर आलोचना की है, लेकिन उसके बाद भी कहा है कि सरकार—केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें भी अलग-अलग आयोग बनायेंगी और चार महीने के अंदर आइडेंटिफाई करेंगी कि श्रीमती लैथर की परिभाषा में कौन लोग आयेंगे।

तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय लिया है, उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस सिलसिले में सरकार ने क्या अभी तक राज्य सरकारों को कोई आदेश जारी किया है और क्या स्वयं सरकार उस सिलसिले में कोई आयोग बिठाने जा रही है, या नहीं?

तीसरा और अंतिम मेरा प्रश्न यह है कि आज ही कम से कम उस बात की सफाई होनी चाहिए। राम नरेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में मंत्री जी के वक्तव्य को पढ़ा—

"The implications of the judgement of the Supreme Court, if any, in so far as the Scheduled Castes/Scheduled Tribes are concerned need to be examined, after wider consultation, including with all political parties, before a final view is taken."

लेकिन आखिर

"There cannot be any doubt on the commitment of the Government with regard to the protection of the* interests of Scheduled Castes/Scheduled Tribes."

अब इसको पढ़ करके ही नहीं मैं शंका पैदा हो रहा है कि वाकई ही मैं सरकार सही माने में अनुसूचित जाति और अनुसू-

चित्त जन-जाति के आरक्षण वर्ग के लोगों के लिए मन में कोई उनका जो इंट्रेस्ट है, उसको प्रोटैक्ट करने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता, तो अब तक इस सिलसिले में कोई न कोई निर्णय ले लिया गया होता ।

मार्च 1980 में मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट आई थी । बारह साल बाद वह लागू हुई और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, केसरी जी को आज के दिन ही वक्तव्य देना चाहिए कम से कम कि एस.सी. और एस.टी. के प्रमोशन में कि इस सिलसिले में सरकार फोरन क्या करने जा रही है ।

आनन्द प्रकाश गौतम जी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि बहुत सी राज्य सरकारों ने कदाचित् अपनी राजाज्ञा जारी कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश हुआ है—प्रमोशन एस.सी., एस.टी. के मामले में रोक देना चाहिए ।

तो इन सारी चीजों के सिलसिले में आप अपनी सरकार का स्पष्ट मंतव्य दीजिए और कम से कम इस बात की जरूरत सफाई करिए आज ही कि एस.सी., एस.टी. की पदोन्नति के सिलसिले में आप या तो संविधान संशोधन करिए या फोरन सुप्रीम कोर्ट में कल ही जाइए और जाकर के कहिए कि कंस्टीट्यूशन के आर्टिकल 137 के अंतर्गत हम रेड्यू पेंटीशन फाइल करने जा रहे हैं, इसलिए श्रेड्यूल्ड कास्ट्स एवं श्रेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो इंट्रेस्ट है, वह सफर न करे—इसलिए कम से कम अपने आर्डर के इस मोशन को आप स्टे करिए ।

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Minister's statement has disappointed us, as pointed out by Mr. Jaipal Reddy, because, we were expecting a statement from the Government with references to the commendable judgment delivered by the highest court of the country.

The Supreme Court delivered its judgement on 16th November itself. What has the Government been doing all these days, till 6th December? They should have come forward with a statement earlier, giving their views and what they are going to do in the light of the judgement of the Supreme Court.

The hon. Minister says that the Government would take a view on the issues arising out of the judgement, having regard to its Constitutional obligations towards the advancement of backward class of citizens. Sir, this is a very mischievous statement to hood wink the people, particularly, the Backward Classes. I point my accusing finger at this Government, that they have taken for granted the backward class people.

Sir, as you know_ Mr. Mandal gave his report as far back as in 1980. For a period of ten years, the report was gathering dust. Then, it was Mr. V. P. Singh, when he was the Prime Minister who declared on the floor of Parliament that Government would implement the recommendations of the Mandal Commission that 27 per cent of the jobs be reserved for the backward class citizens. That was on 7th August, 1990. This declaration of 7th August led to the fall of the Government on 7th November on the floor of the Lok Sabha. Sir, in the statement the Minister has mentioned "the judgement of Justice Jeevan Reddy, delivered on his own behalf, Chief Justice Venkatachelliah and Ahmadi JJ, together the support that it enjoyed from other judges, became the majority judgement." I would like to put it on record that it is the judgement of hon. Justice Rathnavel Pandian which will go down in the annals of history. The judgement champions the cause of social justice because in the judgement the dreams of Periyar E. V. Rama-smamy Naicker and persons like Dr. Lohia were fulfilled. It is we belonging to the Dravidian movement who were pioneers in this regard. When the

[Shri V. Gopalasamy]

DMK party under the leadership of Anna and the D. K. under the stewardship of Periyar launched an agitation in the State of Tamil Nadu for the cause of the backward class people, Pandit Jawaharlal Nehru in his wisdom introduced an amendment in article 16 of the Constitution.

The 6th August, 1990, was a red-lett'r day because of the initiative taken by Mr. V. P. Singh but these forces with a "cleverness" of criminality worked hand in glove against the implementation of the recommendations of the Mandal Commission. They instigated an agitation. They poisoned the minds of certain students. They spent crores and crores of rupees against crores and crores of backward class people of this country. Again when this judgement of the Supreme Court was delivered in the apex body, I would charge the very same forces with playing the same trick. The attention of the people has now been diverted. The Mandal Commission, its report and the judgement all have taken a back seat. It is for the purpose of killing the spirit of helping the backward class people. There was the rath yatra undertaken in the year 1990 with the same malicious intention. Now the very same forces have taken up the issue of Ayodhya because they have been talking about the creamy layer. Of course, we are here to extend our fullest support to whatever steps are taken by the Government to protect the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, but the problem is the question of SCs and STs does not arise. It is a mischief being played here. That is the crux of the problem. We would like to know what the Government is going to do to implement the recommendations of the Mandal Commission which were announced by the then National Front Government which were held valid by the Supreme Court in its judgement. Sir what is happening now? The very same forces are now

speaking in many voices. But we should not forget the fact that the caste system built upon the diabolical varnashrama dharma is the poison, is the venom, which is being injected into the minds of many people. Therefore, Sir, it has always been a sinister design of those vested interests who are putting forth the theory of merit. It is the backward class people who were oppressed and suppressed for thousands of years_ and today you are saying that merit should play a role.

Sir, I recall the famous judgment of a Supreme Court Judge: If a person is put in shackles for many years and then if you suddenly release him and ask him to compete in a race along with other competitors, then do you expect him to win the race? The same is the case here with the backward classes also because, in the name of the Vedas, in the name of the Manu Smriti these people have been denied their basic rights for thousands of years. That is why we have taken up the issue of reservations for these backward classes. Of course, the caste system should be abolished. That is our policy, that is our motto. But, till then, the people who have been subjected to hardships and disadvantages in the name of religion and in the name of the caste system for thousands of years should be given a hand to come up. This is the principle on which the cause of social justice develops.

Here I do not understand why the Government has not made any statement with reference to the judgment delivered by the Supreme Court of India. But there are people within the ruling party also — I do not accuse all — and the vested interests are hiding. They are in camouflage in all the political parties and these vested interests play a vital role. That is the reason why this Government is not prepared to come out with a bold statement honouring the recommendations of the Mandal Commission. They never expected that such a

judgement would be delivered. I think so. Probably they thought that people would forget about Mandal. But here again, when the judgement was delivered by the Supreme Court, backward class people from Kanyakumari to Kashmir heaved a sigh of relief and thought that the doors have been opened, at least partially. But, Sir, to their dismay, disappointment and despair, the Government has not taken any steps, and the communal forces' which have been playing the communal card, who are representing the upper strata and who want to establish a Hindu Rashtra and the *Manu Smriti* have taken up the issue of Ayodhya.

Sir, it is not the mere destruction of a mosque at Ayodhya. It is a sinister design of the Santh Parivar. Therefore, Sir, when they want to establish a Hindu Rashtra, in their mind it is very clear; No justice for the backward classes no justice for the Scheduled Caste people. What they had been enjoying some thousands of years ago they want to repeat and they want to enjoy the same rule now. Therefore, they want to take India back to the days of the Mauryas and the Guptas. Sir, in those days of Mauryas and Guptas, the same Manusmriti played the role. Therefore, they want to take India back to those days of Manusmriti. Sir, in that case they may be jubilant at the destruction of the Mosque. They may be jubilant that their communal card is working very strongly, effectively in those areas. They may be gaining ground. They may be expecting a victory. They may come victorious in elections. Therefore, today they are jubilant, I know. These forces are very jubilant today.

But, Sir, let them not fail to see the writing on the wall. If they want to take India back to those days of Hindu Rashtra or Manusmriti. Sir, it is a camouflage under which they are working. Therefore, Sir, these forces

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Will you seek some clarifications also?

SHRI V. GOPALSAMY: What clarification? One very simple clarification I would like to make is on why the Government failed to come forward with a statement, for which the Government has no answer. I am giving an explanation for that. Mr. Kesri is a champion of backward classes, I know. In his heart of hearts he is for backward classes. His conscience may speak inside, but he may not be able to speak outside. Therefore on his behalf also I am putting the same arguments.

I will be concluding, Sir.

Sir they are working under a camouflage. They will never permit this Government or the political parties to implement the recommendations of the Mandal Commission. That is why they had undertaken the Rath Yatra of Mr. Lai Krishan Advani in 1990. There was no other reason to topple the V. P. Singh Government in the year 1990. After the delivery of the judgement now, they again played this mischief here at Ayodhya.

Therefore, I would like to warn them. The people will not be in a slumber for more time. You cannot cheat those people, the backward-class people. They will take up the cudgels against you. In the name of Ram, in the name of religion you cannot hoodwink those people. They are not against Ram, they are not against religion. But in the name of religion they are suppressed. Therefore, you cannot play this trick of using religion, using the name Ram. Yes you may be laughing now. But in future you will be facing the consequences. You will be facing terrible consequences. They and all the secular forces will rally on one side.

[Shri V. Gopalsamy]

One more thing is that if they want to establish a Hindu rashtra in the Hindi heartland, then, let them forget about the limbs of this land scape of India. Let them forget about the North-East, Punjab, Kashmir and the South. Is it their motto? Is it their plan? Therefore, Sir, the forces which are playing this communal card, should be exposed to the public. They are against backward classes. This message should reach the backward classes in the Hindi heartland, in the Gangetic plains. Then only will they realise it. This is the reason. They were able to sit on the shoulders of these backward people, the oppressed sections, for thousands of years. They were able to have the crown on their head. Now the time has come when they cannot cheat, hoodwink the people for all times to come.

Therefore, Sir, again I make this charge against this Government because it has also played the communal card. Now you could not come out openly because Mr. Vasant Sathe in the other House made a dharna. He announced an indefinite fast against the announcement of the decision on the Mandal Commission Report. I want to know whether Mr. Satha is in the Congress Party or he has quit the Congress Party. Therefore, such forces are there in the Congress Party also, like Mr. Vasant Sathe. You can say, "Our party has been a very democratic party from the days of Mahatma Gandhi's fast. That is always there." Therefore, Sir,....

श्री शिव चरण सिंह (राजस्थान) :
महोदय, कोई समय सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। ... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Gopalsamy, you should not be swayed by Mr. Sangh Priya Gautam. Please ask questions.

श्री राम नरेश शर्मा : उपसभाध्यक्ष जी, क्या यह उचित है कि जो आदमी बाहर का है, उसका नाम यहीं लिया जाए ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You refrain from referring to names.

SHRI V. GOPALSAMY: A staunch lieutenant of the then Prime Minister of this country. Yes, I do not mention the name. He sat on dharna on the floor of the other House. Therefore I want to know whether this Government headed by Mr. Narasimha Rao is really committed to the cause of the backward classes. This is the million dollar question, I would say. You are cheating the backward class people. You have not come with a statement for these people. This statement is a mischievous one.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) :
श्री अनन्त राम जायसवाल केवल प्रश्न पूछिए, भाषण बहुत हो गया।

श्री अनन्त राम जायसवाल : (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, उपसभाध्यक्ष जी, मेरे बोलने के पहले ही आपों समय की पाबंदी लगा दी है, मैं यह समझता हूँ कि समय की कमी है, काफी बकन निकल गया है लेकिन जो समय दूसरों को दिया गया है, उससे आप हमको दिया गया है।

मैं शुरू में यह कहना चाहता हूँ कि सरकार से और कल्याण मंत्री जी से उम्मीद यह की जाती थी कि अयोध्या की 6 दिसम्बर की घटना के बाद देश की संवेदनशील समस्याएँ जो हैं, उनको टालने का रास्ता कांग्रेस छोड़ेगी, उनके धिनसिले में टूलमुलपन छोड़ेगी, लेकिन लगता है कि इनके ऊपर उक्त घटना का कोई असर ही नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ दूसरी जी कि मुल्क इस नतीजे पर पहुँच रहा है कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक चर्चाधीन विषय का सवाल है मान्यवर, हमारा संविधान बराबरी और समान अवसर के सिद्धांत से बंधा हुआ है—देश के किसी एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच में लिंग, जाति, धर्म, भाषा या इलाके के नाम पर विभेद नहीं किया जा सकता, इस सिद्धांत से बंधा है ग्राम तौर पर, लेकिन जब सवाल आया शेड्यूल्ड कास्ट का शेड्यूल्ड ट्राइब्स का या पिछड़े वर्गों का तो इस समान अवसर के सिद्धांत से, बराबरी के सिद्धांत से संविधान ने

थोड़ा हटकर यह व्यवस्था की गई है कि उनके विकास के लिए विशेष कानून बनाया जा सकता है।

गांधी जी के आन्दोलन का यह प्रभाव था कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जो थे, उनको आरक्षण पहले से ही मिल गया था भर्ती में भी और प्रमोशन में भी।

मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने शैड्यूल्ड कास्ट या शैड्यूल्ड ट्राइब्स का मामला ही नहीं चलाया गया, उनकी भर्ती या प्रोन्नति के आरक्षण का मसाला उनके सामने उठाया ही नहीं गया और न उनसे ऐसा निर्णय मांगा गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका यह डिस्प्रिजन भी नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा वह ओविटरडिस्ट या आन्डरवैशन हो सकता है और उस आन्डरवैशन पर सरकार को अमल करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उस पर उनका निर्णय नहीं मांगा गया। तो जहाँ तक शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का सवाल है, उनको आरक्षण की जो रियायत भर्ती और प्रमोशन में मिलती थी, उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, यह मेरी राय है और मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, कि सरकार ने उस को भी रोकने के आदेश जारी किए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस काम से माननीय मंत्री जी अपने हाथ हट लीजिए और जो सुविधा उनको अब तक मिल रही थी, आप वह उनको मिलने दीजिए, उसे कायम रहने दीजिए।

जहाँ तक पिछड़ी जातियों का सवाल है, उनके बारे में मेरा निवेदन है कि जहाँ तक हमारे संविधान का सवाल है, उस में श्रीमी लेयर या किसी और लेयर का कोई वर्णन नहीं है। इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय को भी उस सवाल में नहीं जाना चाहिए था, यह मेरी राय।

अगर उस पर वह गए हैं तो हमारा ख्याल है कि माननीय हाई कोर्ट को यह संविधान सम्मत राय नहीं है और आपको उस मामले पर रिबीव में तुरन्त जाना चाहिए, जैसा कि मालवीय जी ने आपको इशारा भी किया है। एक चीज आप याद रखिएगा, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि यह मामला कम संवेदनशील नहीं है। आप देख चुके हैं इस सिलसिले में जो पुरानी घटनाएँ हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। मान्यवर, जबर्दस्ती जनेऊ का तोड़ा जाना, जबर्दस्ती चुटिया का काटा जाना और राष्ट्रीय धतका का जलाया जाना, संविधान का जलाया जाना हो चुका और हमने हाल में देखा है कि एक नहीं अनेक आत्मदाह के मामले हुए हैं। इसलिए आप यह नहीं समझिए कि यह मामला आसानी से दबने वाला है या उसको टालकर आप बहुत दिन तक चैन नहीं पा सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इसको दबाइए नहीं। अगर दबाकर देर तक इसको टाला जाता है तो उसमें विस्फोट पैदा होगा, जैसा 6 दिसम्बर को आपने देख ही लिया है। इसलिए मेरी आपको यह चेतावनी है।

हमारे लोकतंत्र ने, जो बालिय मताधिकार ने लोगों को जागृत किया है उसकी बजह से जो दबे, पिछड़े और दलित लोग हैं, उनमें भी अपने अधिकारों के प्रति जागृति आई है और वे अपने अधिकारों को चाहते हैं, अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ने-लड़ते वह कहीं ऐसी आफत न पैदा कर दें, जैसी आप के सामने, देश के सामने है। इसलिए समय रहते आपको संभलना चाहिए। मैं फिर निवेदन सहित आपसे दरखवास्त करता हूँ कि हमारे संविधान रचयिताओं ने श्रीमी लेयर का संविधान कानून में वर्णन नहीं किया इसलिए उस मामले को आपको फिर से सुप्रीम कोर्ट से रिब्यू करना चाहिए और वह नहीं मानते तो फिर उसमें जो भी कानूनी बाधाएँ हैं, उनको आपको दूर करना चाहिए। आपसे यह उम्मीद थी कि

—(समय की घंटी)—मान्यवर, दो मिनट।

उपसमाप्त (श्री भौहम्मद सलीम) :
प्रश्न कर लीजिए ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : मान्यवर,
मैं सिर्फ एक-दो मिनट और चाहता हूँ ।

आप यहां पर कोई निर्णय लेकर आयेगे, अनिश्चय लेकर नहीं आयेगे, दुलमुलपन लेकर नहीं आयेगे । परंतु वह आपने नहीं किया । आखिरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक पिछड़ों का, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल है, उनके बारे में आप दो चीजें याद रखिएगा । पहली चीज यह है कि इनको दो तरह की इंफिमिटी है । समाज में इनकी इज्जत नहीं है और इनको अशिक्षा का भी रोग है और यह गरीब भी हैं । पूरे समुदाय, पूरे समाज को आप जोड़ेंगे तो यह एक फीसदी भी नहीं आएंगे । इसको आपको ध्यान में लाना चाहिए । केवल पार्लियामेंट के मेंबर्स, सरकारी अफसर या मिनिस्टर्स को ही खाली ध्यान नहीं रखना चाहिए, पूरे समाज को भी ध्यान रखना चाहिए । आपने आरक्षण तो दिया, नौकरी में थोड़े लोग आए लेकिन आम तौर पर आर्थिक हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है । उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है । उसमें भी उनको विशेष अवसर की जरूरत है । उसी तरह से आप समझिए कि जो पिछड़े लोग हैं, उनके एक-दो लोग ऊपर चढ़ गए हों, लेकिन जहां तक पूरे समाज का सवाल है वह अब भी दो तरह की इंफिमिटी में है । एक तो वह समाज में जाति के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण नीच माने जाते हैं और दूसरे, उनके साथ जो पन्याय हुआ है, उनको पढ़ने का मौका हीं मिला, नौकरी में असवरा नहीं मिला और दूसरों के मुकाबले वह पिछड़ गए हैं इसलिए दूसरों के बराबर लाने के लिए उनको विशेष अवसर की जरूरत है । सरकार जितनी जल्दी चेत जाए उतना ही सरकार का भला है और देश का भला है । इसलिए मैंने जो आपको सुझाव दिए—पहला, यह कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को उनकी भर्ती और पदोन्नति में जो रियायतें मिली हुई हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से उस पर कोई निर्णय

नहीं मांगा गया था इसलिए वह डिस्मिशन हो ही नहीं सकता, उस पर सरकार की अमल करने की जरूरत नहीं है । दूसरी चीज, इनके बारे में श्रीमती लेयर वगैरह का मामला उठाया है, उसको फिर से रिव्यू कराइए । तीसरी चीज है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि आप अलग से कमीशन बनायेंगे और चार महीने के अंदर यह तय करेंगे कि किनको यह सुविधायें मिलनी चाहिए, उसके बारे में आपने कोई कदम सदन की जानकारी में नहीं उठाया है । इसलिए मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ कि अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आपने 16 नवम्बर से लेकर आज तक क्या कार्रवाई की है, इस पर अपने उत्तर में प्रकाश डालिएगा ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
Sir, the judgment of the Supreme Court, in my opinion, has a number of aspects. (Interruptions) The main point is_ there is the resistance of the upper castes to prevent the implementation of the policy of social justice. This is the crux. People belonging to higher castes occupy important positions in the society. In Parliament We cannot speak about the Judges and about the judgement of the Supreme Court. But the point is, people belonging to the higher castes occupy important positions and there is a definite resistance to prevent the implementation of the policy of social justice. My submission is, this resistance can only be overcome by the Government if the Government has the political will. The statement of the Minister once again highlights the contradiction in the mind of the Government and the indecisiveness of the character and the composition so far as the Government is concerned. The Minister, must come up to Parliament and say what safeguards they are going to set up to ensure that parliamentary wisdom and the policy dictated by parliamentary sanction is not knocked out elsewhere That is the crux. The Government must tell us what safeguard it is going to ensure so that parliamentary judgment is not knocked

out by another judgment. We would like to ensure that the resistance of the higher castes to the implementation of the policy of social justice is overcome. And, for that, we need a Government of firm political will. I have my doubts, despite the tears rolling down the cheeks of all the important political leaders, whether the Government has the political will to carry out the policy which it has enunciated itself.

SHRI G.Y. KRISHNAN (Karnataka): Sir, the verdict of the Supreme Court pertains to two issues. The Mandal Commission has considered the plight of the backward classes and it has given a report. That report has been considered by the Supreme Court and it has given a decision that reservation shall be there. As Mr. Das Gupta has said, to implement the policy of reservation, the Government should have the mind and the political will. Definitely the Government is having the political will. And, our Minister, Mr. Sitaram Kesri, is definitely committed to the backward classes and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. He will certainly do it. That does not mean that all the things that have been recommended by the Mandal Commission as well as the verdict given by the Supreme Court have to be adhered to. The Government has to consider the reality. I hope that the Government will certainly consider the plight of the backward classes and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and see that the statement given by the hon. Minister is amended to the better advantage of the backward classes and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Sir, in the southern States, as one of my esteemed colleagues has mentioned, the State Government is committed to reservation for backward classes. Especially in Karnataka during the time of Mr. Devraj Urs, the backward classes were provided reservation to the extent of 52 per cent both in the matter of recruitment and promotion.

Likewise, the other States have also done the same thing.

Coming to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, exploitation has been there in matters of recruitment and promotion at all levels from time immemorial, even earlier to the formation of the Constitution. In spite of the constitutional guarantee provided to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in matters of recruitment and promotion and in spite of reservation of posts guaranteed to them under the Constitution, the reservation policy has not been followed properly. I have been a Member of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Welfare Committee for three terms and have visited several places and found that the recruitment was not properly done and the backlog has not at all been cleared even in respect of their recruitment. What to speak of promotion, even in respect of recruitment, the backlog has not been cleared. When such is the case, how can the Mandal Commission come into the picture and decide about the fate of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes? It is a constitutional guarantee and I don't think that the issue of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes was put before the Supreme Court. The Mandal Commission had 'no jurisdiction to' consider the reservation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes but somehow, it has been mentioned in the verdict. That is also an exploitation. That is why exploitation of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes has been there in one way or the other by infringing their rights.

Even now, in spite of the fact that the Government is committed, in spite of the fact that Shri Sitaram Kesri is

[Shri G. Y. Krishnan]

really committed to the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes exploitation of these classes is still there. I would like to request the Minister that reservation for backward classes need not be examined by the Mandal Commission. But whatever the backward classes deserve, they should be given that. Similar is the case with the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. When their rights have been guaranteed, when reservation in recruitment and promotion has been guaranteed in the Constitution, there is no point in reconsidering it. That is why the Government should take suitable steps to do the needful. I hope the Government will take suitable steps and immediately issue instructions that since the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have been guaranteed reservation in the matter of recruitment and promotion, it will not be affected at all. Like that, some order has to be issued by the Government. Thank you.

श्री गुंडप्पा कोरवार : (कर्नाटक) उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपना शुक्रभार है कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। आज जो वेलफेयर मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है, संविधान में थोड़ा-बहुत कास्ट के लोगों को जो हक दिया गया है, हम आशा रखते हैं कि उनकी रक्षा की जाएगी। जो हम को हक दिया गया, दलितों को हक दिया गया उनके बारे में, हक की हिफाजत के बारे में हिम्मत के साथ कहना और हक की हिफाजत करना यह अच्छा कार्य है। हम किन से शिक्षा देकरें ? सदियों से इतने सीनियर लोग, बजुर्ग लोगों ने अपने विचार रखे हैं। महसूस किया हमने कि हर एक के दिल में इस काम के लिए दर्द है, प्यार है। उनकी बात को सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मुल्क के वे लोग जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि इस समाज के ढाँचे को बदलें, समाज के पिछड़े हुए लोगों को ऊपर लायें और उनकी तरक्की के लिए जो भी कदम उठाना है वह हिम्मत से उठाएँ, दर्द से उठावें, उनकी हिफाजत करने में कभी

पीछे नहीं रहें। यह मुल्क का सवाल था, यह समाज का बदलाव था। यह बड़ी गम्भीर समस्या थी। इस मुल्क के इतिहासकारों ने, इस मुल्क के समाज शास्त्रियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, राजनीतिज्ञों ने यह महसूस किया कि इस मुल्क में, ऐसा जो सज है, समाज की जो रचना है, जो ढाँचा है उसको बदल देना आवश्यक है। यह समझ कर संविधान रचनाकर्ताओं ने बड़ी ईमानदारी से देशभक्ति से और हिम्मत से संविधान में समाज की बदलने के लिए कदम उठाए हैं। समाज में सदियों से भूखे, नंगे थे और जिनको हमसफ नहीं था, जिनका अधिकार नहीं था, समानता नहीं थी, ऐसे लोगों की तरफ उनकी नजर गई और सही तरीके से संविधान में हक दिया। इस मुल्क के करोड़ों लोगों के लिए जो दलित हैं, जिनका समाज में मान नहीं था, जिनका शोषण किया जा रहा था और जिनके साथ जुल्म हो रहा था, नाइयाफी हो रही थी तो ऐसे लोगों के लिए जो हक उनको दिया गया संविधान में वह ठीक ही है। इस मुल्क में करोड़ों लोग बसते हैं उन पर सदियों से जुल्म हो रहा था, उन लोगों के दिलों में खुशी की लहर सोड़ी है। वह समझें हैं कि सदियों से जो उनकी दुखदारी थी...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहनश्वर सलोभ) : गुंडप्पा जी आप प्रश्न कीजिए, स्पष्टीकरण पूछिए।

श्री गुंडप्पा कोरवार : माफ करिए। मैं उस काम से आता हूँ जिस काम पर सदियों से जुल्म हुआ है। मैं उस मोपड़ी से आता हूँ जिस मोपड़ी में दीया नहीं जलता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ी सी मेने हिम्मत की है बोलने की। आप भी थोड़ी हिम्मत दें। कोई पब्लिक ग्रंथ है इस समुदाय के लिए, लोगों के लिए बना है लेकिन हम मुल्क में जो पिछड़े हुए लोग हैं इनकी हिफाजत के लिए उनके सम्मान के लिए, उनकी तरक्की के लिए सोचने का हक जो इन संविधान में दिया गया है वह संविधान, कोई माने या न माने लेकिन इस मुल्क के रहने वाले करोड़ों लोग, दलित लोग पब्लिक ग्रंथ मानते हैं। अब संविधान में दिए गए

हक की हिफाजत न हो, कहीं धक्का लगे तो वह महसूस करते हैं कि फिर वही दौर आ गया है जिन दौर से हम सदियों से गुजरते रहे। इस दौर में हम सदियों से गुजरते रह रहे हैं। इसलिए आज हमको सदमा हुआ। मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट से सदमा हुआ और सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्मिशन है, उसमें भी शक और श्रुवहा बताया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस संविधान की रक्षा करने वाली है और सुप्रीम कोर्ट में अगर वे लोग शक करें या सरकार ऐसा शक समझ कर हक दिलाने में, हमारी रक्षा करने में जो कदम उठाना चाहिए, जो हिम्मत बढ़ानी चाहिए, जो संविधान का अनुष्ठान करना चाहिए, उसमें शक श्रुवहा पैदा हुआ तो फिर इस मुल्क के दलितों का क्या होगा। उनको दलों का क्या होगा, उनके सोचने का क्या होगा, उनकी तरक्की का क्या होगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है, जो शक और श्रुवहा बताया गया है इसके इस मुल्क में रहने वाले जो दलित हैं उनको ठेस पहुंचेगी, शक पैदा होगा कि यह सरकार कदम उठाने में क्यों पीछे जा रही है? क्यों शक पैदा करना चाहती है? उस पर भी लोगों को शक होगा। हम बड़ी मुश्किल से सदियों के बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली, हमारा संविधान बना तो हमारे दिल में एक रोशनी पैदा हुई, हिम्मत पैदा हुई, जोश पैदा हुआ कि हम अब तरक्की करेंगे। इस रास्ते पर हम सोचने लगे और जो संविधान ने मौका दिया है उसका कायदा उठावेंगे। इन बातों से लोगों में एक खिमा बल रहा था। ऐसे वक़्त में अगर शक और श्रुवहा की बात आई तो उससे इन लोगों को ठेस पहुंचेगी और उनके जजबे को मार पड़ेगी। मिनिस्टर साहब अभी बाहर गए हुए हैं, मैं उनको एक और सुनाता कहता हूँ एक शायर ने कहा है—

दिल जलों से दिल्ज़गी छच्छी नहीं.

हमारे रोने पर आपकी हंसी छच्छी नहीं।

हमारा दिल सदियों से जला हुआ है, दबा हुआ है, हम जुल्म का शिकार हैं, शोषण का शिकार हैं। इस दिल में जो दर्द है उस पर सदियों से मार पड़ी है। वह दर्द कैसा है, उसका रंग-रूप कैसा है, यह हम ही जानते हैं। इसलिए हम सब जातियों के लोगों से, सब धर्मों के लोगों से, सब पार्टियों के लोगों से, पूछना चाहते हैं कि आपके दिल में हमारे लिए दर्द है नहीं। आप इंसान हैं, इंसान के दिल में दर्द होता है। अगर आपके दिल में हमारे लिए दर्द नहीं है तो यह हमारे लिए खतरनाक बात है। इसलिए अगर हर पार्टी के लोगों, हर मजहब के लोगों, हर जाति के लोगों के दिल में हमारे लिए दर्द है तो यह एक सही सोच है। हमें सरकार के ऊपर भरोसा है, सरकार के ऊपर हम गर्व करते हैं, सरकार अगर अटल फ़ैसला करे और सरकार चाहे तो संविधान के अन्दर हमारे जो हक और हकूक हैं उनको हिम्मत के साथ जारी करे और उनकी रक्षा करे तो हमारी सही तरक्की हो सकती है। हमारे दिलों में यह अटल फ़ैसला है कि अगर सरकार हमारी हिफाजत करेगी, हमारे हकों की रक्षा करने में कदम उठाएगी तो हमारी तरक्की हो सकती है। लेकिन अगर वह आगे पीछे देखती है या उसने शक किया, हिम्मत से काम नहीं किया तो फिर संविधान का क्या होगा, संविधान में दिये हुए हकों का क्या होगा, हमारी तरक्की का क्या होगा? यह समस्या हमारे सामने है। यह समस्या सिर्फ दलितों की समस्या नहीं है, यह समस्या पूरे समाज की और पूरे देश की है। इसलिए इनकी तरक्की के लिए जो भी कानून है, उनको आप जारी करेंगे, हिम्मत से करेंगे, कुब्त से करेंगे और आज जो इन लोगों के दिलों में उभार आया है, इस कुब्त को आप आगे बढ़ाएंगे तो हम यही चाहते हैं। इसलिये वेलफ़ेयर मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि वह जजमेंट में कुछ भी कहें, क्या कहा, हमें पता नहीं लेकिन स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट पर हमको शक हो रहा है। आपके कदम कहीं न डगमगायें कदम उठाने में, हमारी हिफाजत करने

[श्री गुंडप्पा कोरवार]

में, बुजुर्ग नेता हैं, इस मुत्क के बड़े नेताओं में से एक हैं, आप गांधीवादी हैं और सही भायनों में वे हम लोगों की तरक्की चाहते हैं। इसीलिये आपको वेलफेयर डिपार्टमेंट दिया गया है। आपके कुछ कदम ऐसे हैं, हम कभी-कभी देखते हैं कि आपके दिल में सही दर्द है, आपके दिल में सही हिम्मत है और आप ठीक कदम उठा रहे हैं। मैंने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कारपोरेशन के बारे में जब आपका स्टेटमेंट पढ़ा तो पाया कि 75 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये किया। इससे हमको थोड़ी हिम्मत होती है, हमको इससे बड़ा संतोष होता है और इतना ही आपके ऊपर अभिमान बढ़ा है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप हमारे काम के बारे में, जिसके लिये हर पार्टी, हर आदमी के दिल में दर्द है, तरक्की चाहते हैं, उनकी तरक्की में कोई रुकावट पैदा न हो। इस वक्त अगर आप या बजट में पूरी हिम्मत से हमारी हिफाजत नहीं किये तो हमारी तरक्की नहीं होगी। नहीं होगी तो देश पर, समाज पर यह एक कलंक होगा। इसलिये आपसे प्रार्थना है कि आप हिम्मत से काम लें। हमारे इन लोगों की तरक्की में आपकी रुचि है। इस दौर में कभी हमारे दिल को सदमा न हो, ऐसी आप हमारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे
(महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय,

विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश) :
आप अपने नाम को सार्थक कीजिये।

सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे :
हां, ज़रूर। शास्त्री जी, हजारों सालों से अन्याय हो रहा है, इसलिये मैं अपना नाम सार्थक करूंगा। ...
(स्ववधान) ... शास्त्री जी लोगों ने किया है, इसीलिये आज यह स्टेटमेंट लाना पड़ा है और क्या है।

महोदय जी, हमारे कल्याण मंत्री जी ने एक बहुत स्पष्ट हेतु से समाज में एक जजमेंट के कारण जो एक भय निर्माण हो गया है, जन-जाति और अनुसूचित जाति के वर्गों के लोगों में, यह भय नष्ट करने के लिये सरकार की ओर से आज आखिरी दिन होते हुए भी वह इस सदन में आकर देश को यह बताना चाहते थे और चाहते हैं कि हम पीड़ित और दलित वर्गों के साथ हैं। महात्मा गांधी जी ने जो इस देश को आश्वासित किया था, डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को चलने का रास्ता बताया, उसी रास्ते पर हमारे कल्याण मंत्री एक ऐसे नेता हैं जो गांधी जी के साथ रहे हैं और मैं नहीं समझता कि वह इस तरह का स्टेटमेंट लायेंगे। लेकिन मेरा आरोप यह है कि स्पष्टरूप से जिसका जजमेंट में कोई रेफरेंस नहीं था और जिस घटना पर कोर्ट के सामने केसेज थे, उस पर रेफरेंस नहीं था। लेकिन बात आ गयी। इसलिये क्लेरिफिकेशन करने के लिये आज वह यहां आये हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक माइंड जो बैठा है यहां उसकी वजह से जो स्टेटमेंट में एक संगम का निर्माण हो गया है, वह निकालना बहुत जरूरी है। हमारी नीति, कांग्रेस की नीति, सरकार की नीति स्पष्ट है कि जो पीड़ित वर्ग है, जो हजारों सालों से आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी तक माइट इज राइट है, ब्यूरो क्रेसी में हो गया समाज में हो गया है। शास्त्री जी कह रहे हैं कि आपका नाम को सुशील है उसको सार्थक करिये। हां, मैं वैसे ही कहना चाहता हूँ। शास्त्री जी, क्योंकि हजारों वर्षों से हमारी परम्परा रही है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जरा इन्ट्रोपेक्शन करिये, आत्म-चित्तक करें, समाज में जो सफाई वर्ग का मजदूर काम करता है...

श्री अनन्त राम जायसवाल : मंत्री जी को बोलने दीजिये।

सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे :
मंत्री जी तो बोलेंगे ही (व्यवधान)
लेकिन जब तक हमारे दिल में यह
स्पष्टता नहीं आएगी (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) :
अब आप सवाल पूछ लीजिये और मंत्री
जी को स्पष्ट करने दीजिये।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे :
मैं यह स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूँ
लेकिन सब से बड़ा सवाल यह है कि
हमारे सब के दिल में भी बात साफ
होनी चाहिये। इस देश में बहुत कानून
बनाए गए। एक आदमी कभी चपरासी
से आगे बढ़ता है, कभी डी०एस० पी०
कलक्टर और मंत्री तक जाता है (व्यव-
धान)

श्री शिवचरण सिंह : आप मंत्री जी
से हां करा लीजिये हम तो तैयार हैं
(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे :
वही मैं कह रहा हूँ। रिपोर्ट लिखेंगे,
एक साथ प्रमोशन स्टेप-अप होता है।
कौन बैठे हैं उसका रिकार्ड स्पॉयल
करने के लिए, इसके अन्दर जरा मैं
इंट्रोस्पेक्शन चाहता हूँ। उनके अन्दर
इंटेलीजेंस होता है, नॉलेजबल होता है,
उसकी बुद्धि भी कुशाग्र होती है लेकिन
जब स्टेप-अप प्रमोशन मिलता है तो
उसको दबाने के लिए किस तरह से
उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते
हैं, यह आप सब जानते हैं। मुझे भी
थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है।
फई कैसेज में हमने रिमार्क एक्सपोज
किये हैं। क्योंकि इस पर विशिष्ट
लोगों को छवि जिस तरह की
है, वह छवि अभी तक नष्ट नहीं हुई
है। उसका कारण यह है कि हम
आज इस स्टेटमेंट में यह कहते हैं—

There will be no immediate disturbances;
Does that mean that you are expecting
disturbances in future? Why" are you not
clear?

जब हमारे विचार में, हमारे पक्ष
की नीति शुद्ध है और हमारी डायरेक्शन
क्लीयर है, जब यह डायरेक्शन है तो
इस घटनाक्रम में इस तरह का सन्देह
का निर्माण नहीं करना चाहते हैं और
इसलिए मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं
करना चाहता हूँ। मैं मंत्री जी से यह
पूछना चाहता हूँ कि इसकी क्या जरूरत
है मंत्री जी, जब कोई रेफेंस सुप्रीम
कोर्ट के सामने नहीं था और जनमेंट
में कोई बातें आ गई हैं तो क्या जरूरी है
कि सब पोलिटिकल पार्टीज के साथ
आप बात करें। सब लोगों के साथ
बात करने की क्या जरूरत है?

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

उपसभापति महोदया, हमारा विचार स्पष्ट
है। हमारी पार्टी का डायरेक्शन है।
इन वर्गों को हमने स्पष्ट तरीके से
आश्वस्त किया है कि जब तक कानून में
प्रावधान है यह रिजर्वेशन कभी नष्ट
नहीं हो सकता। हम कोई भीख नहीं
मांगना चाहते हैं क्योंकि हम सामर्थवान
बनना चाहते हैं। हमारे अन्दर सामर्थ्य
है, इंटेलीजेंस है, बुद्धिमत्ता है। हमें कोई
देने की बात करता है तो हम भीख
मांग कर नहीं लेना चाहते हैं। अभी मेरे
साथी गीतम जी यहाँ नहीं हैं। दूसरे
हमारे लीडर आफ अपोजीशन श्री सि कन्दर
बख्त साहब बैठे हैं, एक दो हमारे दूसरे
साथी हैं, कितने लोग हैं? मैं तो यह
कहता हूँ जब आपके दिल में स्पष्टता
है तो कोई भी पार्टी हो जो चाहती
हो पूरी की पूरी पार्टियों से मैं यह
कहना चाहता हूँ कि प्रजातन्त्र में आप
एक बार सब हाऊनटूड्स को पूरे देश
से यहाँ आने दीजिये। है हिम्मत?
नहीं हो सकती। लेकिन बार बार रिज-
र्वेशन की बात खड़ी करेंगे। इसलिए
इसके लिए पोलिटिकल विल चाहिये
और यह पोलिटिकल विल केवल सरकार
की ओर से नहीं चाहिये, सब की ओर
से यह पोलिटिकल विल चाहिये तभी

[श्री सुशील कुमार संभाजी राव शिन्दे]
 हमारे समाज में सुधार हो सकता है। हम चाहते हैं सिकन्दर बख्त साहब जैसे लोग आ जाएं तभी हिन्दू मुस्लिम का जातिवाद देश में नष्ट होगा। हम केवल दलित वर्ग को ही नहीं चाहते हैं उनको भी इसी तरह का समाज में एक तरह का जो विचार पैदा किया जा रहा है, वह भी इसी तरह से नष्ट हो जाए। क्या माइनरिटीज को प्रोटेक्शन देते हैं? हम जरूर इनके लिए झगड़ते आ रहे हैं लेकिन हम उनके लिए भी झगड़ना चाहते हैं। जरा सोचिये बख्त साहब, कहां गये गौतम जी (व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश) :
 मैं हाजिर हूँ (व्यवधान) मैं जवाब दूंगा (व्यवधान)

شہری سکندر بخت: میں حاضر ہوں۔
 "مداخلت" میں جواب دوں گا۔ مداخلت"

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे :
 उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी की नीति स्पष्ट है।

(Interruptions) -

i
 SHRI GURUDAS DAS GUPTA: You can have a bipartite talk. —

SHRI SUSHILKUMAR SAMBAJIRAO SHINDE: That is a different thing. That is why I am appealing to the Liftists also, Because you are our brothers, you want socialism, a real socialism and thereby ... (Interruptions)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: They are your brothers and you want them to be your collaborators.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBAJIRAO SHINDE: Fortunately, you have joined hands with us. Now we are very much happy and we are thankful to you.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Don't be mistaken. I am not joining hands with. We are only giving support ... (Interruptions)

SHRI SUSHILKUMAR SAMBAJIRAO SHINDE: At least you are with us... (Interruptions)

श्री जगदीश प्रसाद माधुर : आप दिल मिला रहे हैं लेकिन यह हाथ भी नहीं मिला रहे हैं (व्यवधान)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, that is not a sweet hand to join with.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBAJIRAO SHINDE: All right, if it is not a sweet hand. But you are ready to cooperate.

THE DEPUTY CHAIRMAN: When we talk about hands, we should also look at the hands of the watch, where they are.

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे :
 मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि सम्माननीय सदस्य श्री शिव शंकर जी और श्री हनुमन्तप्पा जी ने बहुत स्पष्टतापूर्वक इस पर भाषण किया है। पिछड़े वर्गों के लिये जो हमारे लिए महत्वपूर्ण डिपॉजिट हैं वे जो सार श्री शिव शंकर जी ने बताये उनका तो मैं पूरा समर्थन करता हूँ लेकिन केरी फारवर्ड फारमूला जो है प्रमोशंस के लिए—प्रमोशन तो एक पहला उन्होंने बताया और केरी फारवर्ड फारमूला यह हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है कि जिसकी ओर हम एक नयी आशा से सरकार की ओर देखते हैं। विशेषतया इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जो विशेष रूप से इसमें डाइरेक्शन दिया था वही डाइरेक्शन नरसिंह राव जी ने आज अपने सभी विचारों में और कृतियों में लेने का प्रयास किया है तो उससे हम अलग नहीं होना चाहते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि प्रमोशंस केरी फारवर्ड स्लैस और रिजर्वेशंस इन टेक्निकल एण्ड साइंटिफिक

पोस्टस, अगर इनमें आज भी परसेटेंज हम देखें तो मैंने खुद ने देखा है जब मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में था, आठ साल या फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र का और मैं रिज्यू लेता था तो नोट इन वन परसेंट आफ सेवेन एण्ड हाफ कराइम। तो यह स्थिति आज इस देश में है। इसलिए अभी इस तरह की प्रीमी लेयर की बात जब हो रही है तो मैं समझता हूँ कि हमें विजिलेंट रहना है इसके लिए और मैं मंत्री जी को कहूँगा कि हमारी पार्टी के डाइरेक्शन बहुत क्लियर कर रहे हैं। तो आप ये चार जो चीजें हमने बतायी हैं विशेषतया प्रमोशंस, केरी फारवर्ड रूल्स और जो टेक्निकल और साइंटिफिक पोस्टस हैं इनके लिए स्पष्ट आश्वासन देंगे। यह बहुत जरूरी है और यदि यह नहीं जल्द हो सकता है तो कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी बात है। मैं समझता हूँ कि क्लियर क्लेरीफिकेशंस आपका मिलना चाहिए। हमने बहुत बार ऐसे काम किये हैं कि जब एकाध निर्णय हमारी फिलासफी के विरुद्ध होते हैं, हमारे नेशनल इंटेंशन के बारे में होते हैं, अप्रलिफ्टमेंट आफ द डाउन टाउन के बारे में गलत तरीके से होता है तो उसको करेक्ट करने के लिए फिर वही कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट की बात होनी चाहिए। इस सदन में बहुत बार इस तरह का काम हुआ है। हमारे कल्याण मंत्री जी जो असली गांधीवादी कल्याण मंत्री हैं उनसे मैं विनती करूँगा कि यह काम जल्द से जल्द करें क्योंकि इसमें देर करेंगे तो लोग हमारे ऊपर संशय करेंगे। इसलिए इसकी स्पष्टता होनी जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ जिस दृष्टि से सरकार ने यह स्टेटमेंट किया है उसका अभिनन्दन कर रहा हूँ।

उपसभापति : उसी दृढ़ता से आप कर रहे हैं। श्री सतीश प्रधानजी।

एक माननीय सदस्य : मेडम, अभी कितने बाकी हैं ?

उपसभापति : अभी दो और हैं। दिनेश भाई त्रिवेदी और डा. फागुनी

राम। मेरा खाली यह निवेदन है कि जहाँ हम हाथ मिला रहे हैं दोस्ती का वहाँ जरा घड़ी के कांटों को भी देखते रहें।

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र) : मैं कुछ समय नहीं लूँगा। सिर्फ एक ही क्षण मेरे दिल में खड़ा हुआ है। सदन में सब सदस्यों ने जो भावनाएँ व्यक्त कीं उन सबकी पूरी की पूरी भावनाओं का आदर रखते हुए मेरे दिल में खड़ा हुआ जो एक ही खाल है वही मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि मंत्री जी उसका जवाब दें तो अच्छा रहेगा। कोर्ट ने जो आर्डर दिया है, आप कोर्ट के आर्डर का भी आदर रखें या नहीं रखेंगे इनका सिर्फ बता दें तो अच्छा रहेगा। अन्यथा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I cannot believe that somebody could speak so little. Shri Dineshbhai Trivedi.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat): Madam Deputy Chairman, I assure you I will take not more than two minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: I do not think there could be any debate when H comes to talking about the upliftment of people who are educationally, financially and socially the so-called backwards. But I have seen and I was listening to the people from various sections of the society. Nobody is happy today. What have we done? What have we achieved in this country? Have we not divided this country on the basis of caste, creed, colour and religion? We have done this to keep our own political positions, political chairs in tact. Have We really thought about the backward castes? Are we really concerned? That should really be the debate. When would be the dream of the founding-fathers of our Constitution come true? When would we really see an

[Shri Dinesh bhai Trivedi]

India where the citizens would, be recognised as 'Indians' only? I feel ashamed that we got to get into the 21st century with our labels of caste, creed, colour and religion. It is a shame on us. Mr. Minister, where is your programme which would say, yes, by the year such and such, we will not have any such black spot on our society? This is a black spot on our society. We have created this division for our own selfish interests to remain in this House, in these chairs, in politics. I have no-doubt about that. Where is your programme? I only want to ask one question. With the kind of unemployment we have in this country, do you think reservation, promotion, etc., is going to fulfil that dream which we had dreamt when we and you specially were fighting for freedom? We do not know. There is certainly a very large section of society which does not understand caste, creed, colour, and religion. They understand who is an Indian and who is not an Indian.

Lastly—and that is the crux of my clarification—when would we have that day in India when we fill in the forms whether it be for employment or for education or for ration cards, we would not have this column saying, "what is your caste, what is your creed, what is your tribe, and what is your religion?", but there would be only one column as to what your nationality is?

डा० फागुनी राम (बिहार) :
माननीय महोदय, इस स्टेटमेंट के पहले लोगों की धारणा थी कि शैड्यूल कास्टस एंड शैड्यूल ट्राइब्स के लोगों में मनोबल बढ़ेगा, लेकिन इस धारणा की भी वजह से लोगों के दिल में आरक्षण में पदोन्नति से भ्रम फैलेगा और आप जानते हैं कि कमजोर वर्ग, बीकर सेक्शन इसलिए कहा जाता है कि उनका मनोबल कम रहता है और जहाँ मनोबल कम रहेगा, तो उससे कितनी कठिनाइयाँ हो जायेंगी—आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक,

एफिशेंसी में कितनी कमी आ जाएगी इस पर विचार किया जाना चाहिए।

आप देखते हैं कि आरक्षण शब्द बड़ी सोच-समझ कर कांग्रेस की नीति के अनुकूल बनाया गया था, जिसमें कि लोग जो इनिश्यल स्टेज में, शुरू-शुरू में जब रेजर्वेशन लागू हुआ था और वहाँ जब बहाल अनुपात में नहीं हो सके थे, तो इसकी वजह क्या हुआ कि आगे आने वाले जैसे-जैसे ऊँचे पद पर जाते हैं, बी० से ए० में जाते हैं, ए० के बाद सुपर क्लास में जाते हैं, वहाँ अब इनके अनुपात की संख्या कम होती जाती है। यहाँ तक कि यद्यपि सरकार का नियम है कि प्रत्येक नियुक्ति या पदोन्नति की समितियों में शैड्यूल कास्टस एंड शैड्यूल ट्राइब्स के आदमी रखे जायेंगे, वहाँ सभी विभागों में या सभी निकायों में इनकी उपलब्धता नहीं है। इसकी उपलब्धता नहीं होने का कारण यह हुआ कि शुरू-शुरू में सब के साथ इन लोगों के आदमी, इन समुदायों के वर्ग बहाल नहीं हो सके और पीछे पड़ गये।

इसी को पूरा करने के लिए कि कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे सभी स्टेज पर इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, यह आरक्षण लागू किया गया था।

तो इसलिए यद्यपि कि हम नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर कोई विचार हुआ है, मैं टेक्नीकल बात नहीं जानता ला के बारे में, श्री हेच० हनुमन्तप्पा और श्री पी० शिव शंकर जी ने कहा है। लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि साहब, अगर यहाँ पर इसका विचार नहीं था उसके बारे में या कि साहब इस पर आगे प्रत्यक्ष में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इन लोगों के दिल में यह भ्रम पैदा करेगा और उनका मनोबल टूटेगा और जो लोग डिजर्व करते भी होंगे उनकी बहाली रुक जाएगी।

बात तो हम यह चाहते हैं कि जैसे पदोन्नति से भरे जाने वाले जो पद हैं, अगर उनमें अभी तक जो उम्मीदवार एस० सी० एंड एस० टी० के हैं, तो उनको तत्काल एक कार्यक्रम बना कर एक निश्चित अवधि बना करके उसको पूरा कर दिया जाना चाहिए। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक ऊपर स्केन जा करके यह बात है कि उसके आगे पदोन्नति नहीं है। हम समझते हैं कि उसको तब तक पदोन्नति कर दी जानी चाहिए ताकि ऊपर से ऊपर तक यह पदोन्नति वाले लोग पहुँच सकें। हम चाहते हैं कि सरकार को यह जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट शब्द जाना चाहिए कि शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के यह जो निर्णय है उससे कोई लगाव नहीं है और इनका आरक्षण पूर्ववत् यथास्थिति अभी है, उसी तरह से कायम रहेगा। ऐसा करने से उनका मनोबल बढ़ेगा और हम समझते हैं कि उनकी एकीशिएंसी बढ़ सकेगी। हम जानते हैं कि चूंकि कांग्रेस सरकार की नीति है और कांग्रेस की नीति है उसी के तहत जो लोग आगे यहाँ तक आए हैं उनको आशा है कि आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि शुरू से बिहार के रहने वाले होने के नाते और सर्क होने के नाते हम जानते हैं मंत्री जी वह बड़े हमदर्द हैं, इनकी शक्ति शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। हम समझते हैं कि मंत्री जी अपने प्रभाव से उनका मनोबल न गिरने दें और उन पर आशीर्वाद रखें ताकि देश, समाज और सोसायटी में उनका मनोबल बढ़ सके और सही रूप में अपने को अपमानित नहीं, अपने को गौरवान्वित भी अगर नहीं समझ सकें तो दूसरे लोगों के समक्ष तो अपने को समझ सकें। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में आप बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक और बहुत ही जल्द इसके बारे में कोई अच्छा और स्पष्ट निर्णय देंगे।

श्री सीताराम केसरी : महोदय, श्री शिव शंकर जी ने जो बातें कही हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं तार्किक कर सकता

हूँ कि उसमें तथ्य है। मैं उनसे पुनः हम फिर उनसे और लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा है बातें करके इस दिशा में कदम उठावेंगे। जहाँ तक श्री रेड्डी ने कहा है एक बात और हम कहना चाहते हैं, जिस समय जजमेंट आया सभी दल के नेताओं ने जजमेंट का बहुत आगे बढ़ करके स्वागत किया, सिवाय इस सीताराम केसरी के, जिसने यह कहा कि जजमेंट का हम स्वागत करते हैं मगर जजमेंट को हम एग्जामिन करके तब अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इसलिए आज हम पर जो यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस जजमेंट में यह था, यह था, जिन महानुभावों ने, जिन नेताओं ने वक्तव्य दिया, उनको पढ़ना चाहिए था उसी समय और चाहे यह बोलना चाहिए था कि वे स्वागत तो करते हैं मगर इसको हम एग्जामिन करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। इन्हीं सारे धर्मों की वजह से जो डिले हुआ उस पर मैं कह रहा हूँ। एक चीज है चाहे मेरा गहरा मतभेद हो और है बी.जे.पी. के साथ, मगर मि० आडवाणी ने भी उसी तरह का स्टेटमेंट दिया कि भाई, बेलकम तो करते हैं, मगर इसका जरा पूरी तरह से परीक्षण होना चाहिए। विरोध है, गहरा विरोध है, मगर जो चीजें हैं सामने मैं कहूँगा और जहाँ तक मि० रेड्डी ने कहा है मैं उनसे यह निवेदन करूँगा कि मैंने इस दिशा में कदम बढाया है, पहल की है, सारी प्रादेशिक सरकारों का मैंने पत्र लिखा है कि यह जजमेंट आया है आरक्षण के संबंध में मंडल रिपोर्ट पर आप अपने-अपने यहाँ कमेटी के निर्माण और 10 दिसंबर तक मुझे उत्तर दीजिए। साथ ही, मैंने भी अपने विभाग में 18 नवंबर से ही पहल लेना शुरू कर दिया और इस पहल में हम आगे कदम बढ़ाए हैं। जहाँ तक अनुसूचित जाति और जन जाति के प्रति प्रतिबद्धता का प्रश्न है उसमें एक कदम किसी से हम पीछे नहीं हैं। दूसरी बात, जहाँ तक वर्तमान रूप में अगर किसी ने कोई कदम उठाया है, किसी विभाग ने या किसी प्रदेश ने तो वह हमारी जानकारी में आने के साथ ही मैं उस पर विचार

[श्री सीताराम केसरी]

ही नहीं, उन्हें कहूंगा कि इस जजमेंट के अंतर्गत यह जो 5 साल का प्रावधान है, उसमें यह नहीं आता है। अभी प्रोबेशन का जो रूप है, जैसा मैंने कहा कि किसी तरह का इसमें डिस्टर्बेंस और कम्प्रोमाइज नहीं है वर्तमान समय में और दूसरी बहुत सारी बातें उठकर आई हैं, मैं नहीं चाहता कि आपका काफी समय लू, मुझे की बात है कि चाहे मण्डल कमीशन हो, चाहे काका कालेलकर कमीशन हो, चाहे चिरिया कमीशन हो—यह पिछड़े वर्गों के संबंध में ही रहा है जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े रहे हैं, उन्हीं के संबंध में यह कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी 9 जजों के सामने यह प्रश्न गया था, मगर हमारे यहां जो यह इंटरप्रिटेशन है और शिवशंकर जी ने जो बातें कही हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन सारी चीजों को मद्दे नजर रखते हुए इस पर मैं उन से और सारे लोगों से बात कर के निश्चित रूप से निर्णय लूंगा। मगर पुनः मैं कहता हूँ कि जहां तक शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित का प्रश्न है, उसमें हमारी सरकार, हमारा दल और मैं प्रतिबद्ध हूँ और कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ।

प्रभोद महाजन (महाराष्ट्र) :
सारा देश प्रतिबद्ध है, आपके साथ।

उपसभापति : धन्यवाद, मंत्री जी।
शिवशंकर जी, बैठिए। आप लोगों को
सुवारकवाह देनी है।

VALEDICTORY REMARKS

THE DEPUTY CHAIRMAN: Before I adjourn the House *sine die*, I, on behalf of the Chairman, on behalf of the members of the panel of

Vice-Chairman, and on my own behalf, would like to thank all Members for the kind co-operation extended to us in conducting the proceedings of the House.

In this Session, We had the opportunity of welcoming Shri R. K. Narayanan, as our Chairman, on his election as the Vice-President of India. Even in the short period he has been with us, he has, with his great acumen and wisdom, ably guided the proceedings of this House.

The current Session of this House has been a period of great stress, particularly, in the wake of a national tragedy of awesome and terrible dimensions. The House was adjourned several times. Question Hour was dispensed with on four days. In this Session, apart from the deliberations on Ayodhya and connected issues, we discussed the recent floods and cyclonic storm in Southern India, in the form of a Calling-Attention Motion. Members also raised matters of public importance, through 78 Special Mentions.

Ten Government Bills were introduced in the House, and we cleared 14 Bills, including three Constitution (Amendment) Bills. This Session, perhaps, would be remembered, not only for the storms it witnessed, but also for the great multi-party cooperation and cordiality with which the two historic Constitution (Amendment) Bills were passed today, which would help us in strengthening our basic and grassroot democracy.

In the aggregate, we had 18 sittings of the House, occupying nearly 80 hours, and, by any estimate, this Session must be recognised as having been held in an exceptionally important period of the history of our country. The House made its own contribution in taking our great country forward, through these difficult times.